



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर 2017—भाद्र 24, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रबर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2017

क्र. ई-5-570-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 30 अगस्त से 7 सितम्बर 2017 तक, 9 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री विनोद कुमार, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विनोद कुमार उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-609-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती रिमता भारद्वाज, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर को समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अप्रैल द्वारा दिनांक 18 अप्रैल से 5 मई 2017 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 18 अप्रैल से 5 मई 2017 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश (दिनांक 26 अप्रैल से 4 मई 2017 तक की अवधि एक्स इंडिया अर्जित अवकाश सहित) कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-690-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को 4 से 8 सितम्बर 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 02, 03 सितम्बर 2017 तथा दिनांक 9, 10, सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिरुद्ध मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनिरुद्ध मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिरुद्ध मुकर्जी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-967-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री सोमेश मिश्र, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रत्लाम को दिनांक 11 से 21 सितम्बर 2017 तक, ग्यारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सोमेश मिश्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रत्लाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सोमेश मिश्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोमेश मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. 5-989-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री आशीष सक्सेना, आयएएस., कलेक्टर, जिला झाबुआ को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक, पांच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 तथा दिनांक 16, 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सक्सेना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कलेक्टर, जिला झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष सक्सेना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सक्सेना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्र. ई-5-846-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती रेनू तिवारी, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 4 से 15 सितम्बर 2017 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2, 3 सितम्बर 2017 एवं दिनांक 16, 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेनू तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनू तिवारी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्र. बी-1-86-2017-2-एक.—सुश्री सुलेखा ठाकुर, राप्रसे (आर. आर.2012), डिप्टी कलेक्टर, मंडला आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर

विवाहोपरान्त उप नाम सुश्री सुलेखा ठाकुर के स्थान पर श्रीमती सुलेखा सुदेश उईके परिवर्तित करने का अनुरोध किया है।

(2) राज्य शासन, एतद्वारा, सुश्री सुलेखा ठाकुर, राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम सुश्री मोहिनी वर्मा के स्थान पर श्रीमती सुलेखा सुदेश उईके परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(3) उपरोक्तानुसार उप नाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती सुलेखा सुदेश उईके के सेवा अभिलेखों में की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव “कार्मिक”।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2017

क्र. एफ 1(बी)159-16-बी-4-दो.—राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 96/81/2016 चयन, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के सरल क्र. 06 (अनुक्रमांक-345822) श्री अनुराग जैन (अनारक्षित वर्ग) द्वारा गृह विभाग को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 6 जुलाई 2017 में यह लेख किया है कि उनका मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2015 में उप जिलाध्यक्ष के पद पर चयन हो जाने के कारण वे राज्य सेवा परीक्षा 2014 में उप पुलिस अधीक्षक की सेवा में नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। अतः उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनका चयन निरस्त किया जाये। वे इसके लिये स्वयं उत्तरदायी रहेंगे तथा भविष्य में इस संबंध में किसी प्रकार का दावा पेश नहीं करेंगे।

(2) अतः, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र दिनांक 14 दिसम्बर 2016 द्वारा इस विभाग को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के स. क्र. 06 (अनुक्रमांक-345822) में उल्लेखित श्री अनुराग जैन (अनारक्षित वर्ग) की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावे को सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

फा. क्र. 3569-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, श्री पदमेश शाह, बारहवें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर की सेवाएं जिला मंदसौर में दिनांक 6 जून 2017 को हुई घटना की न्यायिक जांच हेतु गठित जांच आयोग मंदसौर में सचिव के पद पर, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2017

फा. क्र. 3528-इक्कीस-ब (एक) 2017.—राज्य शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन में अतिरिक्त सचिव, विधि के एक रिक्त पद पर श्री आर. के. गुप्ता, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-12/2011/3/एक, दिनांक 3 सितम्बर 2011 द्वारा निर्धारित तथा उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन दिनांक 2 सितम्बर 2017 को संविदा अवधि समाप्त होने पर पुनः एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं (090)-सचिवालय योजना-(9057)-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11 वेतन भत्ते की उपमद-025-संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2017

फा. क्र. 3450-इक्कीस-ब (दो) 2017.—राज्य शासन, एतद्वारा नोटरी अधिनियम, 1952 (सन् 1952 का सं. 53) की धारा 10 के खण्ड (क) एवं खण्ड (च) के अन्तर्गत आधारों पर श्री शंकरलाल अग्रवाल, नोटरी, गुना का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन संधारित नोटरी पंजी से हटाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामकुमार चौबे, सचिव।

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2017

एफ-26-2-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश तेन्दुपत्ता (व्यापार-विनियमन). संशोधन अधिनियम, 2007 की धारा-17 (क) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन वनक्षेत्रपाल (क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी) एवं उससे वरिष्ठ वनाधिकारी को उनके प्रभाव क्षेत्र में इस अधिनियम के तहत किये गये अपाराधों का प्रशमन करने हेतु अधिकृत करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैटन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2017

एफ-26-2-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-26-2-2002-दस-3, दिनांक 3 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैटन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 3rd August 2017

F-26-2-2002-X-3.—In exercise of the power of conferred by Section 17 (A) of THE MAHDYAPRDESH TENDU PATTAA (VYAPAR VINYAMAN) SANSODHAN ADHINIYAM, 2007, the State Government hereby empowers Forest Ranger (Territorial and Wild life) and his Superior Forest Officer to exercise the power to compound offences under the Act, in their jurisdiction, respectively.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

(आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई)

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2017

क्र. 209-आर.-25-2017-आनीविड़ि-चार.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-ए-3-13-2014-एक(1), दिनांक 25 अप्रैल 2017 द्वारा श्री हिम्मत कोठारी, अध्यक्ष, राज्य वित्त

आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है।

(2) राज्य शासन अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग को देय वेतन भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 93-आर.-25-2017-आनीविड़ि-चार, दिनांक 5 मई, 2017 के तारतम्य में अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग को देय वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधायें निम्नानुसार निर्धारित होंगी:—

क. राज्य शासन, एतद्वारा अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग को देय सुविधायें एवं परिलक्षित योग्य मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 8 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (वेतन तथा भत्ता) नियम, 1994 के अंतर्गत निम्नानुसार निर्धारित करता है:—

(1) वेतन भत्ता

विवरण	दर
(1)	(2)
i. वेतन	45000/-
ii. सत्कार भत्ता	45000/-
iii. दैनिक भत्ता : अ. राज्य के भीतर	45000/- प्रतिमास
b. राज्य के बाहर	2500/- प्रतिदिन

ख. उपरोक्त के अलावा आवास सुविधा, विद्युत् व्यय (मासिक), पानी पर व्यय, वाहन एवं वाहन चालक, ईधन, चिकित्सा सुविधायें, यात्रा सुविधा, यात्रा के दौरान दैनिक भत्ता, दूरभाष, आयकर सुविधायें मंत्री के समान प्राप्त होंगी।

ग. उपरोक्त प्रावधान श्री हिम्मत कोठारी, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग को कार्यभार ग्रहण के दिनांक अर्थात् दिनांक 21 मार्च 2017 से देय होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिरुद्ध मुकर्जी, प्रमुख सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2017

क्र. 1545-2017-ए-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, मेसर्स हिंडलाल्को इंडस्ट्रीज लिमि. के वाष्पयंत्र क्रमांक एम. पी.4981 के स्टिमिंग लायर्सेंस की वैधता अवधि बढ़ाये जाने को निम्नलिखित

शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4981 के प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि में दिनांक 3 अगस्त 2017 से 2 अगस्त 2018 तक की छूट प्रदान करता हैः—

- (1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश इन्डौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
- (2) उपुर्यक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बॉयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
- (3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्यूलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
- (5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी।
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।

आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

क्र. 1770-2015-बी-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, संजय गांधी ताप विद्युत् गृह, बिरसिंहपुर के बाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4514 के स्टीमिंग लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाये जाने को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4514 के प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि में दिनांक 1 सितम्बर 2017 से 31 अगस्त 2018 तक की छूट प्रदान करता हैः—

- (1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश इन्डौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।

- (2) उपुर्यक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बॉयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
- (3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगा।
- (4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्यूलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
- (5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम-6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी।
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।

आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्र. 1894-1683-2017-ए-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह सारणी जिला-बैतूल के बाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/3410 के स्टीमिंग लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाये जाने को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/3410 के प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि में दिनांक 22 अगस्त 2017 से 21 नवम्बर 2017 तक की छूट प्रदान करता हैः—

- (1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश इन्डौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
- (2) उपुर्यक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बॉयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।

- (3) संदर्भधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्यूलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
- (5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी।
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता

संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2017

क्र. एफ 11-05-2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 (ए) (सी) (डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के संचालक मण्डल में संचालक के पद पर श्री के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, भोपाल को कॉर्पोरेशन के संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत किया गया है।

संचालक के पद पर श्री श्रीकांत बनोठ, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन, भोपाल को मनोनीत करता है।

क्र. एफ 11-05-2006-उन्तीस-2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश 21 सितम्बर 2016 से मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 (ए) (सी) (डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के संचालक मण्डल में संचालक के पद पर श्री के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, भोपाल को कॉर्पोरेशन के संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 (ए) (सी) (डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के संचालक मण्डल में संचालक के पद पर श्री के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, भोपाल के स्थान पर श्रीमती नीलम शमी राव, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल को मनोनीत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. एफ-15-4-2017-सात-शाखा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाने हुए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित गांवों के लिए, उसके कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाएः—

अनुसूची

तहसील : सेलाना

क्रमांक

पटवारी हलका क्रमांक सहित गांवों के नाम

(1)

(2)

1

1. मूल ग्राम भोजपुरा
2. नवीन ग्राम धावडिया,
प.ह.नं. 26.

जिला रत्नाम

अधिकार-अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत
अधिकारी का पदनाम

(3)

अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित),
जिला-रत्नाम.

(1)

(2)

(3)

1. मूल ग्राम शिवगढ़
 2. नवीन ग्राम सोहनगढ़
- प.ह.नं. 43.

तहसील : रतलाम**जिला रतलाम**

क्रमांक.

पटवारी हलका क्रमांक सहित गांवों के नाम

अधिकार-अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत
अधिकारी का पदनाम

(1)

(2)

(3)

1

मूल ग्राम सरवड
प.ह.नं. 56.

नवीन ग्राम

अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित),
जिला-रतलाम.

1. सरवड
प.ह.नं. 56.
2. गुलरीपाड़ा
प.ह.नं. 56.
3. कुण्डाल
प.ह.नं. 56.
4. इमलीपाड़ा
प.ह.नं. 56.
5. बड़लीपाड़ा
प.ह.नं. 56.
6. पानखेड़ा
प.ह.नं. 56.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. एफ-15-4-2017-सात-शा.-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 15-4-2017-सात-शा.-6, दिनांक 26 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

Bhopal, the 26th August 2017

No. F-15-04-2017-VII-Sec.6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE**Tahsil : Sailana****District: Ratlam**

Serial No.	Name of village (s) with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)
(1)	(2)	(3)
01	1. Original Village Bhojpoora 2. New Village Dhavadiya P. C. No. 26.	Superintendent of Land Records, (regular), District-Ratlam.
02	1. Original Village Shivgarh 2. New Village Sohangarh P. C. No. 43	

Tahsil : Ratlam**District: Ratlam**

Serial No.	Name of Village (s) with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights	
(1)	(2)	(3)	
01	Original Village Sanwad P. C. No. 56	New Village 1. Sanwad P. C. No. 56. 2. Gulripada P.C. Nō. 56. 3. Kundal P.C. No. 56. 4. Imlipada P.C. No. 56. 5. Badlipada P.C. No. 56. 6. Pankheda P.C. No. 56.	Superintendent of Land Records, (regular) District-Ratlam.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BHARTI OGREY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2017

क्र. एफ 4-2-2016-सात-एक.—राज्य शासन के आदेश क्रमांक ई-1-284-2017-5-एक, दिनांक 22 अगस्त 2017 द्वारा श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग का स्थानान्तरण संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) भोपाल में होने से उन्हें आज दिनांक 23 अगस्त 2017 को दोपहर पश्चात् कार्यमुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. पी. अहिरवार, अवर सचिव.

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2017

क्र.-2396-2017-18-5.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्यप्रदेश नियम, 1975 की विज्ञप्ति क्रमांक 3816 दिनांक 8 दिसम्बर 1975, यथासंशोधित दिनांक 15 अप्रैल 2013 में निर्मांकित संशोधन करता है :—

उपयुक्त नियमों के नियम 7 के उपनियम (4) नियम 9 के उपनियम (6) तथा नियम 12 के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों के स्थान पर निम्न उपाबन्ध प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात् :—

उपाबन्ध

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्यप्रदेश नियम, 1975 के नियम 7 के उपनियम (4) नियम 9 के उपनियम (6) तथा नियम 12 के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन :—

क्र.	शक्तियों की विशिष्टियाँ	सदस्य सचिव की शक्तियाँ	अध्यक्ष की शक्तियाँ	बोर्ड की शक्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	समस्त यात्राओं हेतु अनुमति, यात्रा देयकों तथा चिकित्सा देयकों पर स्वीकृति प्रदान करना.	बोर्ड के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ.	1. अपने स्वयं, सदस्य सचिव एवं बोर्ड के अशासकीय सदस्यों हेतु. 2. समस्त अधिकारियों कर्मचारियों हेतु विदेश यात्रा.	कुछ नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	अतिरिक्त धारित पद के कार्य हेतु विशेष वेतन मंजूर करना.	द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ.	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिये पूर्ण शक्तियाँ.	कुछ नहीं.
3	आवर्ती एवं अनावर्ती स्वरूप की आकस्मिक सामग्री क्रय हेतु व्यय मंजूर करना.	एक बार में रुपये एक लाख तक.	एक बार में रुपये दो लाख तक.	पूर्ण शक्ति
4	दर अथवा भाव आमंत्रित किये बिना स्थानीय बाजार से खरीदी.	एक समय में स्थानीय बाजार से किसी ऐसी एक वस्तु की खरीदी नगद रूप में कर सकेंगे जिसका मूल्य रुपये दस हजार तक.	एक समय में स्थानीय बाजार से किसी ऐसी एक वस्तु की खरीदी नगद रूप में कर सकेंगे जिसका मूल्य रुपये बीस हजार तक.	कुछ नहीं.
5	भवनों को भाड़े पर लेना	एक भवन हेतु रुपये पचास हजार प्रतिमाह तक.	सम्पूर्ण शक्तियाँ	कुछ नहीं.
6	पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं की खरीद.	रुपये दस हजार प्रतिमाह तक	रुपये बीस हजार प्रतिमाह तक	सम्पूर्ण शक्तियाँ
7	बेकार माल के बट्टे खाते में डालना.	प्रत्येक मामले में रुपये बीस हजार (अपलेखित मूल्य की).	प्रत्येक मामले में रुपये एक लाख (अपलेखित मूल्य की).	सम्पूर्ण शक्तियाँ
8	सिविल निर्माण कार्यों के अनुमानों का अनुमोदन एवं प्रशासकीय, वित्तीय व भुगतान की स्वीकृति.	एक बार में रुपये एक करोड़ तक.	एक बार में रुपये दो करोड़ तक.	पूर्ण शक्तियाँ
9	आहार-विहार, आतिथ्य तथा बोर्ड के कार्यकलापों के संबंधी विविध मदों पर व्यय की मंजूरी देना.	एक बार में रुपये एक लाख तक.	एक बार में रुपये दो लाख तक.	पूर्ण शक्तियाँ
10	सभी प्रकार की कार्यालयीन व प्रयोगशालायीन व अन्य सामग्री व सेवाओं इत्यादि की खुली निविदाओं की स्वीकृति एवं इस हेतु प्रशासकीय, वित्तीय, क्रय व भुगतान की स्वीकृति.	एक बार में रुपये पचास लाख तक.	एक बार में रुपये एक करोड़ तक.	पूर्ण शक्तियाँ
11	विभागीय क्रय समिति के माध्यम से कोटेशन के आधार पर क्रय, सर्वे रिपोर्ट या अन्य कार्य.	एक बार में रुपये पचास हजार तक.	एक बार में रुपये एक लाख तक.	पूर्ण शक्तियाँ
12	विज्ञापन, प्रकाशन, मुद्रण, सर्वे इत्यादि कार्य को मंजूरी देना.	एक बार में रुपये एक लाख	एक बार में रुपये तीन लाख	पूर्ण शक्तियाँ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	सामग्रियों को अतिशेष/बेकार घोषित करना, उनका मूल्य नियत करना.	प्रत्येक मामले/वस्तु हेतु रुपये पचास हजार (अपलेखित मूल्य तक).	प्रत्येक मामले/वस्तु हेतु रुपये एक लाख (अपलेखित मूल्य तक).	पूर्ण शक्तियां
14	खरीदी के मदों से भिन्न आपातकालीन निर्माण कार्यों के लिये व्यय.	रुपये एक लाख तक	रुपये पाँच लाख तक	पूर्ण शक्तियां
15	एकल निविदा के माध्यम से सामग्री, उपकरण प्रोपरायटरी आईटम का क्रय सर्वे इत्यादि कार्य एवं रख-रखाव अनुबंध.	एक बार में रुपये पाँच लाख तक.	एक बार में रुपये दस लाख तक.	पूर्ण शक्तियां
16	विलम्ब शुल्क घाटा, भाड़ा की मंजूरी.	रुपये पचास हजार तक	रुपये एक लाख तक	पूर्ण शक्तियां
17	निधियों का विनिधान अथवा विनियोजन.	एक बार में रुपये एक करोड़ तक.	पूर्ण शक्तियां	—
18	अधिकारियों/कर्मचारियों को समस्त प्रकार के अग्रिमों का भुगतान.	पूर्ण शक्तियां	—	—
19	सेमिनार, विज्ञान गोष्ठी, कार्यशाला, मेला, जन-जागृति इत्यादि के आयोजन की अनुमति.	एक बार में रुपये पाँच लाख	एक बार में रुपये दस लाख	पूर्ण शक्तियां
20	मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन.	सम्पूर्ण शक्तियां	—	—
21	वार्षिक वेतन वृद्धियां मंजूर करना.	सम्पूर्ण शक्तियां	—	—
22	दक्षतारोध को पार करने की मंजूरी देना.	सम्पूर्ण शक्तियां	—	—
23	सभी प्रकार के अवकाश तथा सेवाकाल के भीतर अध्ययन अवकाश मंजूर करना.	सम्पूर्ण शक्तियां	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24	वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियमों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करने व लघु तथा दीर्घ शास्ति अधिरोपित करना, वेतनवृद्धि रोकना, पदोन्नति से वंचित करना, सेवा से बर्खास्त करना इत्यादि की शक्ति।	प्रथम श्रेणी, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां	—
25	गोपनीय रिपोर्टों को मंजूरी देना।	द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी।	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी।	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, अपर सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 28 अगस्त 2017

मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012

क्र. 971-भू-अर्जन-री-1-16-17.—एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम पेटलावद, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में भेज सकेगा:—

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसगा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	पेटलावद	पेटलावद/26	2326/2 2327 2335	0.007 0.029 0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2333	0.021
			2334	0.025
			2338	0.053
			2340	0.058
			2341	0.022
			2351	0.034
			2352	0.025
			2355	0.023
			2353	0.037
			2388	0.019
			2374	0.042
			2373	0.065
			2387	0.010
			2376	0.001
			2386/मिन-1	0.028
			2385	0.019
			2411	0.025
			कुल योग . .	0.547

क्र. 973-भू-अर्जन-री-1-16-17.—एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम हनुमंत्या, तहसील पेटलावद जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रपांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	पेटलावद	हनुमंत्या/26	129	0.036
			कुल योग . .	0.036

क्र. 975-भू-अर्जन-री-1-16-17.—एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम सुअरपाड़ा तहसील पेटलावद जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	पेटलावद	सुअरपाड़ा/26	63 65 188 189 64	0.022 0.003 0.013 0.010 0.023
				कुल योग . .
				<u>0.071</u>

क्र. 977-भू-अर्जन-री-1-16-17.—एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम बरड़िया तहसील पेटलावद जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	पेटलावद	बरड़िया/26	143/1	0.028

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			113	0.035
			140/1	0.025
			141	0.026
			131/1	0.048
			101	0.004
			110	0.004
			111	0.023
			109	0.036
			108	0.042
			112/1	0.027
			कुल योग . .	<u>0.298</u>

क्र. 979-भू-अर्जन-री-1-16-17.—एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम रायपुरिया, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह अवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	पेटलावद	रायपुरिया/26	694/1	0.030
			692	0.003
			450	0.039
			459	0.017
			453	0.038
			454	0.004
			452	0.034
			445	0.002
			399	0.038
			400	0.021
			401	0.016
			402	0.019
			395	0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		38		0.006
		39		0.058
		41		0.012
		44/मिन-1		0.010
		43		0.010
		42		0.044
		55/3		0.009
		55/2		0.005
		55/1		0.010
		54/1		0.019
		57		0.017
		61		0.017
		58		0.008
		60		0.014
		62		0.020
			कुल योग . .	<u>0.530</u>

क्र. 981-भू-अर्जन-री-1-16-17.—एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम पेटलावद, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	पेटलावद	पेटलावद/26	373/2 378 379/1 380	0.034 0.066 0.051 0.006
				कुल योग . . <u>0.157</u>

क्र. 983-भू-अर्जन-री-1-16-17.—एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम पेटलावद, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	पेटलावद	पेटलावद/26	2115 2116	0.006 0.101 <hr/> कुल योग . . 0.107

झाबुआ, दिनांक 31 अगस्त 2017

प्र. क्र. 1062-ए-82-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में माही परियोजना तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु एवं क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी। अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है। उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

ग्राम:—जाम्बूपाड़ा

तहसील:—पेटलावद

स.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. मे.)		
क्र.		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि जाम्बूपाड़ा सब माईनर नहर	1.42	—	1.42

अनुसूची (2)

सं. क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	दीपला, बाबू पिता नन्दीयाना, बा.पा.मा. थावरीबाई व थावरी बाई बेवा नन्दीया मँगलसिंह, रायचन्द पिता थावरियादितुडी बेवा थावरिया.	121	0.55	-	0.55	0.01	-	0.01
2	दल्ला पिता थावरिया	122	0.58	-	0.58	0.20	-	0.20
3	धापूबाई पति हिन्दू गामड	137	1.11	-	1.11	0.22	-	0.22
4	सुरजी पिता कानजी	140	1.04	-	1.04	0.08	-	0.08
		158	0.41	-	0.41	0.08	-	0.08
5	नारसिंह, तेरसिंह, वेश्या मुन्ना पिता शम्भूजोगड़ी बेवा शम्भू	141	1.20	-	1.20	0.09	-	0.09
6	हवजी, गवजी, मँगलीया पिता पुन्जा, गोबा, भूरा, रमेश, चैनसिंह, 179 बाबूलाल पिता कालीया व नन्दूडीबाई बैवा कालिया शान्तीलाल, रामा पिता हीरका शम्भूलाल, नटवर, अनिल पिता दीतानाथली बेवा दीता.	177	0.38	-	0.38	0.03	-	0.03
7	लक्ष्मण पिता नानिया	178/2	0.34	-	0.34	0.01	-	0.01
8	नन्दू नानजी पिता माँगू पुनकी बेवा माँगू	178/3	0.34	-	0.34	0.02	-	0.02
9	रामा पिता नानीया	178/4	0.35	-	0.35	0.08	-	0.08
10	हुरजी पिता सोमला खड़ीया	183/1	0.11	-	0.11	0.01	-	0.01
		184/1	0.15	-	0.15	0.04	-	0.04
		184/2	0.15	-	0.15	0.02	-	0.02
11	कालु पिता सोमला खड़ीया	184/3	0.15	-	0.15	0.02	-	0.02
12	हिन्दू धरमा दुर्गा संगीता पिता रूपा वसन्ती बेवा रूपा गामड.	185	0.84	-	0.84	0.09	-	0.09
13	जवरिया पिता हरींग गामड	186/1	0.20	-	0.20	0.08	-	0.08
14	खुमसिंग पिता हरींग गामड	186/2	0.23	-	0.23	0.08	-	0.08
15	हिन्दू, रामा, मालू पिता नानीया	222	1.55	-	1.55	0.11	-	0.11
		योग . .	1090	-	1090	1.42	-	1.42

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017

क्र. एफ-7-5-2016-छः—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री महेन्द्र सिंह (चाचू बना) को मध्यप्रदेश तीर्थ-स्थान एवं मेला प्राधिकरण में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

क्र. एफ-7-5-2016-छः—राज्य शासन, एतद्वारा, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश तीर्थ-स्थान एवं मेला

प्राधिकरण के प्रशासनिक प्रबन्ध एवं नियंत्रण के लिये प्राधिकरण के सदस्य मण्डल में नीचे उल्लिखित सदस्यों का मनोनयन किया जाता है।

विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक कार्यकर्ता

- | | |
|--|---------|
| 1. श्री कैलास साहू, जबलपुर | — सदस्य |
| 2. श्री विष्णु गुप्ता, रीवा | — सदस्य |
| 3. श्री रामसुजान सोनी, विजयराघवगढ़ कटनी। | — सदस्य |
| 4. श्री संतोष सोनी, देवास | — सदस्य |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, उपसचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (श्रम विभाग), जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्र. 1—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के लिये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिए निम्नानुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करता हूँः—

जिला अलीराजपुर

धारा 13 की उपधारा 2 “क” के अधीन—

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. जिला दण्डाधिकारी जिला अलीराजपुर | — अध्यक्ष |
|------------------------------------|-----------|

धारा 13 की उपधारा-2 “ख” के अधीन अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य—

- | | |
|---|---------|
| 1. श्री नागरसिंह चौहान, विधायक, अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर | — सदस्य |
| 2. श्री माधौ सिंह डावर, विधायक जोबट जिला अलीराजपुर | — सदस्य |
| 3. श्री नर सिंह मोर्य, सदस्य, जिला पंचायत, जिला अलीराजपुर | — सदस्य |

धारा 13 की उपधारा 2 के खण्ड “ग” के अधीन जिले अधीन सामाजिक कार्यकर्ता दो सदस्य—

- | | |
|---|---------|
| 1. श्री राजू मोदी, सामाजिक कार्यकर्ता, अलीराजपुर | — सदस्य |
| 2. श्री दशरथ सिंह चंदेल, अभिभाषक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अलीराजपुर | — सदस्य |

धारा 13 की उपधारा 2 के खण्ड “घ” के अधीन—

- | | |
|---|---------|
| 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अलीराजपुर (म. प्र.) | — सदस्य |
| 2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जिला अलीराजपुर (म. प्र.) | — सदस्य |
| 3. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी सेवा संभाग, जिला अलीराजपुर | — सदस्य |

धारा 13 की उपधारा 2 के खण्ड “ड” के अधीन—

- | | |
|--|---------|
| 1. प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर (म. प्र.) | — सदस्य |
|--|---------|

क्र. बं.श्र.-2008.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19, 1976) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, शेखर वर्मा, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के लिये उपखण्डों के लिये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिए निम्नानुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करता हूँ:—

उपखण्ड अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर :

1. धारा 13 की उपधारा 3 “क” के अधीन
 2. धारा 13 की उपधारा 3 “ख” के अधीन अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य
 3. धारा 13 की उपधारा 3 “ग” के अधीन दो सामाजिक कार्यकर्ता।
 4. धारा 13 की उपधारा 3 “घ” के अधीन
 5. धारा 13 की उपधारा 3 “ड” के अधीन वित्तीय तथा साख संस्थाओं से एक सदस्य।
1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अलीराजपुर
 2. श्री नागर सिंह चौहान, विधायक, अलीराजपुर
 3. श्रीमती सुनीता इन्दर सिंह चौहान अध्यक्ष, जनपद पंचायत, अलीराजपुर।
 4. श्री भल सिंह, नि. राजावाट अध्यक्ष, अलीराजपुर विकास समिति
 5. श्री ब्रज मोहन बेड़िया, अध्यक्ष, किराना व्यापारी एसोसिएशन, अलीराजपुर।
 6. श्री कृष्ण कान्त बेड़िया, अध्यक्ष, उपभोक्ता मंच, अलीराजपुर
 7. परियोजना प्रशासक, आई.टी.डी.पी. अलीराजपुर
 8. श्रीमती शरमी बाई, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, कट्ठीवाडा
 9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कट्ठीवाडा
 10. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा, अलीराजपुर

उपखण्ड जोबट जिला अलीराजपुर :

1. धारा 13 की उपधारा 3 “क” के अधीन
 2. धारा 13 की उपधारा 3 “ख” के अधीन अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य।
 3. धारा 13 की उपधारा 3 “ग” के अधीन दो सामाजिक कार्यकर्ता।
 4. धारा 13 की उपधारा 3 “घ” के अधीन
 5. धारा 13 की उपधारा 3 “ड” के अधीन वित्तीय तथा साख संस्थाओं से एक सदस्य।
1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जोबट
 2. श्री माधौ सिंह डावर, विधायक, जोबट
 3. गिनकी बाई, सरपंच, खण्डालाराव, जनपद पंचायत उदयगढ़ जिला अलीराजपुर।
 4. श्री कालू जनपद सदस्य, जोबट
 5. श्री राकेश अग्रवाल, अध्यक्ष, नागरिक मंच, जोबट
 6. श्री अजय जायसवाल, उपभोक्ता जागरूक मंच, च.से.आ. नगर।
 7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, चन्द्र शेखर आजाद नगर।
 8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जोबट
 9. श्रीमती मनी बाई अजनार, अध्यक्ष, पंचायत, उदयगढ़।
 10. प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा, जोबट

गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर।

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 21/30 अगस्त 2017

क्र. मण्डी उप-निर्वा.-2017-175.—एतद्वारा, सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी उप निर्वाचन-2017 अन्तर्गत जिले की कृषि उप मण्डी समिति 111-कालापीपल, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश के लिये निम्नानुसार कृषक सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

क्र.	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिए निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	01	श्री मूलचन्द पिता मांगीलाल	कृषक सदस्य	ग्राम खरदौनकलौं, तहसील व थाना कालापीपल.

अलका श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 30 अगस्त 2017

क्र. 6652-क्षे.प.अ.-2017.—प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ईद-उल-जुहा (बकरीद) व गणेश चतुर्थी पर्व के मद्देनजर शहर में गणेश प्रतिमाओं के दर्शन हेतु देर रात्रि तक श्रद्धालुओं की भीड़ के दौरान सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारी वाहनों को शहर में देर रात्रि तक प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि नगर के सघन एवं व्यस्तम मार्गों पर तथा यातायात के सुचारू संचालन हेतु जनहित में सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 155 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1994 के नियम 215 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश जबलपुर नगर निगम सीमा में दिनांक 1 सितम्बर 2017 से दिनांक 4 सितम्बर 2017 तक प्रातः 06.00 बजे से लेकर रात्रि 11.00 बजे तक एवं दिनांक 5 सितम्बर 2017 को प्रातः 06.00 बजे रात्रि 01.00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक हो गया है, अतः उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्नानुसार आदेश लागू किया जाता है:—

- भारी माल वाहक जैसे ट्रक/डम्पर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक, कृषि कार्यों से भिन्न प्रयोजन के प्रयोग में लाये जा रहे ट्रैक्टर नगर निगम सीमा में प्रवेश दिनांक 1 सितम्बर 2017 से दिनांक 4 सितम्बर 2017 तक प्रातः 06.00 बजे से लेकर रात्रि 11.00 बजे तक एवं दिनांक 5 सितम्बर 2017 को प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 01.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे।
- निम्न मार्गों पर नो एन्ट्री से दोपहर 02.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक छूट रहेगी।
 - बाईपास मार्ग तथा पाटन बाईपास चौराहा से चण्डालभाटा ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग।
 - कछपुरा मालगोदाम से मेहता पेट्रोल पंप, एम.आर.-4, अहिंसा चौक, स्टेट बैंक होते हुए दीनदयाल चौक तक।
- आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नांकित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है:—
 - दुग्ध वाहन।
 - नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन।
 - पुलिस वाहन।
 - फायर बिग्रेड।
 - पानी के टैंकर।
 - आर्मी के वाहन।
 - विद्युत् मंडल के कार्य में संलग्न वाहन।
 - एल.पी.जी./पेट्रोलियन पदार्थ वाहन।

यह आदेश दिनांक 1 सितम्बर 2017 से 05 सितम्बर 2017 तक प्रभावशील होगा।

टीप.—उक्त आदेश में विशेष परिस्थितियों में विभागीय अधिकारी की अनुशंसा पर वाहन विशेष को निश्चित समय में छूट हेतु अपर जिला दण्डाधिकारी एवं आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर को अधिकृत किया जाता है।

महेश चन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी।

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 31 अगस्त, 2017

क्र. एफ-1-4-17-रा.स.-यू.ए.1-1112.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्र. 4 सन् 2009) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्त हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई हैः—

1. प्रो. एम. सी. वार्ष्येय, कुलपति, कामधेनू विश्वविद्यालय, गांधीनगर, अहमदाबाद (गुजरात).	समिति के अध्यक्ष	कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित
2. श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (नीटू), माननीय विधायक, मुरैना (म. प्र.).	समिति के सदस्य	विश्वविद्यालय के बोर्ड द्वारा निर्वाचित.
3. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.	समिति के सदस्य	राज्य सरकार, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा नामांकित.

(2) कुलाधिपति के द्वारा प्रो. एम. सी. वार्ष्येय को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी।

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
एम. मोहन राव, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 31 अगस्त, 2017

क्र. एफ-1-6-17-रा.स.-यू.ए.1-1114.—जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्र. 12 सन् 1963) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्त हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई हैः—

1. प्रो. नागेश्वर राव, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्दवानी (नैनीताल) (उत्तराखण्ड).	समिति के अध्यक्ष	कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित
2. श्री केदार नाथ शुक्ल, माननीय विधायक, सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	समिति के सदस्य	विश्वविद्यालय के बोर्ड द्वारा निर्वाचित.

3. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.

समिति के सदस्य

राज्य सरकार, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा नामांकित.

(2) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. नागेश्वर राव को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी।

कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
एम. मोहन राव, राज्यपाल के प्रमुख सचिव।

**कार्यालय संयुक्त, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल, सीहोर, रायसेन, मध्यप्रदेश
“कचनार” ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल**

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2017

सूचना

क्रमांक 2768-वि.यो.-ओबेदुल्लागंज-जिका.भो...-2017.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ओबेदुल्लागंज (निवेश क्षेत्र) के लिये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति—

- आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल मध्यप्रदेश।
- कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश।
- संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ई-5, अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, जिला कार्यालय भोपाल।
- मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, ओबेदुल्लागंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार दिये गये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, भोपाल में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्पर्क विचार हेतु प्रस्तुत करें।

स्थान-भोपाल

तारीख 15 सितम्बर 2017

एस. के. मुदगल, संयुक्त संचालक।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रकरण क्र. 08-अ-82-2016-17

टीकमगढ़, दिनांक 24 अगस्त 2017

चूंकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग टीकमगढ़ जिला-टीकमगढ़ के पक्ष में बहादुरगढ़ तालाब की नहर निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र. 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 (आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति) के तहत क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्र. 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर (सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) कार्यालयीन समयमें आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद म्याद गुजरे जाने पर किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. 12-2/2014/सात/2ए भोपाल दिनांक 12.11.2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

1. परियोजना का नाम — बहादुरगढ़ तालाब योजना नहर निर्माण
2. भूमि का विवरण — ग्राम-रानीपुरा, तहसील-टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ अर्जित भूमि का क्षेत्रफल— 0.058 हेक्टेयर

अनुसूची

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा हे में	अर्जित रकवा हे में
1	फूला पत्नी बिल्लाई, शीलाबाई पत्नि रामदयाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराजस्व 0.90	109/2	0.366	0.029
	योग—	1 किटा	0.366	0.029
2	फूला पत्नी बाबू जाति चमार पता नि.ग्राम भूमिस्वामी भूराजस्व 0.91	109/1	0.367	0.029
	योग—	1 किटा	0.367	0.029

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— बहादुरगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण करने हेतु।
- (3) भूमि के नवशे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्र. 433-नि-भू-अर्जन-2015-2016

टीकमगढ़, दिनांक 24 मार्च 2017

प्रकरण क्रमांक 433 नि-भू-अर्जन/2015-16, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 15 (1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय से 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के क्रमण भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 (2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक-(1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक-(2) में वर्णित लोकप्रयोजन के लिये अपेक्षित है।

भूमि का वर्णन:-

क- जिला :- टीकमगढ़

ख- तहसील:- टीकमगढ़

ग- ग्राम:- डिकौली चक्र-1

घ- लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि:- 22.777 हे.

क्र.	कारस्तकार / कब्जेदार भूमिरखामी का नाम	खरारा नम्बर	अर्जित रकम
1	2	3	5
1	शिवलाल तनय बलुवा सरजू, हल्लू जमना, कुशम पुड़ी बलुवा मु. खिरन देश बलुवा जाति चढार पता नि० ग्राम भूमि स्वामी	1597 1598 1598/ 1599 1600 1601/ 2605	0.364 0.170 0.170 0.036 0.360 0.231
2	मोहन त० हज्जू जाति सौंर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1594/4	0.250
3	कामता, भईयालाल तनय हरिया जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1594/3	0.583
4	देशराज त० हरदास 1/6 हि. धर्मदास त० कलुवा 1/6 हि० जाति ढीमर बिहारी, दयाराम त० दीना 1/6 हि० अच्छेलाल, हरप्रसाद, नंदकिशोर, लक्ष्मन त० दीना 1/2 हि० जाति लोधी सधरा पतिनि भैयालाल 1/6 हि० जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1594/1 2256/2	0.040 0.316
5	पंचम, बाबूलाल, परमलाल तनय रजुवा मु० जशोदा बेवा रजुवा जाति काढी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2478/2 2480/2 2484/1 2483	0.064 0.267 0.060 0.271
6	बालकिशन त० रटटी जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2480/1	0.032
7	मुलुवा, पूरन, घन्सू तनय दलुवा जाति काढी पता नि० ग्राम हिरसा बराबर भाग भूमि स्वामी	2478/3	0.064

कास्तकार / कब्जोदार भूमिस्वामी का नाम	खसरा नम्बर	अर्जित रफवा
2	3	5
म. दयाराम, गोकल तनय जस्तू कल्लू बेवा जस्तू रामकुंवर, नन्हीबाई, भासा पुत्री जस्तू 1/2 हि. गोरेलाल, दुलीचन्द, देवीदास, पप्पू तनय झंकर 1/2 हि. जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2478/1	0.016
9. नजुवा, गोरेलाल तनय पन्धा जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1637/ 2621	0.400
	1641	0.416
10. नजुवा, गोरेलाल तनय पन्धा ढीमर पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी, शोभाराम, दयाराम, गोकल तनय जस्तू कुल्लू बेवा जस्तू रामकुंवर, नन्हीबाई, ममता पुत्री जस्तू पता नि. ग्राम 1/4 भाग केशर पुत्री धासी पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी	1638	0.006
11. पंचम, बाबूलाल, परमलाल तनय रजुवा मु 0 जशोदाबाई बेवा रजुवा पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी नथुवा, किसना त० चउदा जाति काढी पता नि. ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी छिदू लखन तनय बाबू मु. रामबाई बेवा बाबू जाति काढी पता नि. ग्राम 1/6 भाग भूमि स्वामी	1640	0.011
12. दयाराम त० हरचरन, जुगली, वृजलाल, मुलुवा त. पल्टा काढी 1/4 हि० पैलवान त० जसरथ हल्का वती पत्ति राधे यादव, भुमानीबाई, सल्ला, मंदन पुत्री नन्ना, मु. रमपुराबाई बेवा नन्ना 1/4 हि. पूर्णलाल त० दीनदयाल 1/4 हि. मोती त० गल्ली 1/4 हि. लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1487 1502/ 2613	2.860 0.089
13. मोहन तनय कसिया मु. पोषा बेवा कसिया जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1501	0.061
14. मु. सुकन बेवा सुककन स्वामी, घनश्याम, धर्मदास तनय सुककन जाति काढी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1428 1416 1434 1435 1436 1429/ 1500 1433	0.090 0.015 0.036 0.020 0.020 0.069 0.250 0.045
15. लम्पुआ तनय दुर्जना जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1499/1	0.182
16. पैलवान त० जसरथ पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1497 1498	0.476 0.061
17. प्यारे, राधे तनय धुन्धा श्रीबाई पुत्री धुन्धा जाति यादव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1488 1489 1490 1494	0.093 0.368 0.044 0.085
18. कपूरचन्द तनय अयोध्या प्रसाद जैन जाति जैन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1495	0.160
19. बाबा तनय झलुवा जाति काढी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1427 1429 1437 1438 1439	0.033 0.073 0.037 0.032 0.040

कारस्तकार / कम्जोदार भूमिस्थामी का नाम	खसरा नम्बर	अंजित रक्खा
2.	3	5
नीराम, बारेलाल तनय परमा मु० बूदाबाई बेवा परमा 1/10 हि० नाथूराम त० हल्के मु० सुनिया बेवा गोरिया भूमि स्वामी रामपारी पुत्री मत्था पता नि. ग्राम 2/5 भाग भूमि स्वामी दयाराम, तिज्जू, नंदलाल त. हरचरन सुनिया बेवा हरचरन पता नि. ग्राम 1/10 हि० भूमि स्वामी हल्के, पुनुवा तनय पल्टा अहारबारी बेवा पल्टा गुमनी पुत्री पल्टा जाति काढ़ी पता नि. ग्राम 2/5 भाग भूमि स्वामी	1430/ 2599 1441	0.040 0.093
21 दयाराम, तिज्जू, नंदलाल तनय हरचरन सुनिया बेवा हरचरन छोटी पुत्री हरचरन 1/3 भाग भूमि स्वामी हल्के, मुलुवा तनय पल्टा अहारबारी विं० पल्टा जाति काढ़ी पता नि. ग्राम 2/3 भाग भूमि स्वामी	1417 1431 1442 1418	0.010 0.040 0.097 0.020
22 धनीराम, बारेलाल तनय परमा 1/4 भाग भूमि स्वामी दयाराम, तिज्जू, नंदलाल तनय हरचरन, मोहन, वृजलाल, जुगली, काशीराम त० हल्के, मुलुवा तनय पल्टा 1/2 हि० जाति काढ़ी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी नाथूराम तनय हल्के मु० सुनिया बेवा हल्के हि० 1/4 जाति काढ़ी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1420 1425 1430 1430	0.020 0.015 0.040 0.040
23 मु० सुककन दि. सुककन स्वामी धनश्याम, धर्मदास, तनय सुककन पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी बाबा तनय झलुवा पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी धनीराम, बारेलाल त. परमा बूदा विं० परमा, हल्के त० मत्था पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी दयाराम, नन्दलाल, तिज्जू, तनय हरचरन, पुनिया विं० हरचरन, छोटी पुत्री हरचरन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मुलुवा त० पल्टा अहारबाई वि० पल्टा पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी	1421 1432	0.057 0.057
24 जुगली तनय हल्के काढ़ी 1/4 हि० दयाराम, तिज्जू, नंदलाल तनय हरचरन मोहन, वृजलाल, जुगली काशीराम त० हल्के मुलुवा त. पल्टा काढ़ी हि० 1/2 नाथूराम तनय हल्के मु० सुनिया बेवा हल्के काढ़ी हि० 1/4 पता नि० ग्राम भूमि स्वामी	1440	0.121
25 मनसुका त० सुन्ना पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी हल्लू, भूरा बेवा जनकिया दिल्लू, भगुन्ता त० जनकिया 1/4 हि० कूरा त० कामता 1/4 हि० जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1478 1479 1486	0.040 0.100 0.413
26 धनीराम, बारेलाल त० परमा, चत्तू, बेवा परमा, नाथूराम त० हल्के, मु० सुनिया बेवा हल्के, गोरिया भूमि स्वामी शासवाई पुत्री मत्था, मत्थू वि० मत्था पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी दयाराम, तिज्जू, नंदलाल तनय हरचरन छोटी पुत्री हरचरन, मोहन, वृजलाल, जुगली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी काशीराम त० हल्के, मुलुवा त० पल्टा पता नि. ग्राम 1/6 भाग भूमि स्वामी नथुवा त० गुमना पता नि. ग्राम 1/6 भाग भूमि स्वामी सुरेश, रमेश, रमाकान्त तनय गोवर्धन जाति ब्रा० पता नि. ग्राम 1/6 भाग भूमि स्वामी	1443	0.204
27 नधुवा, बाबू, किसना त० चउदा रघिया पुत्री चउदा बनमानीबारी वि० चउदा जाति काढ़ी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1444	0.008
28 हरप्रसाद, हल्के तनय ग्या० 1/3 हि० अडकू त० गनेशा 1/3 हि० कुञ्जे तनय भुन्ने 1/3 हि० जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1482 1483	0.945 0.017
29 गजा त० लछुआ जाति लोधी पता निवासी ग्राम हि० 1/4 भाग भूमि स्वामी ठाकुरदास, शंकरदयाल तनय शिवुआ जाति लोधी पता नि. ग्राम हि० 1/4 भाग भूमि स्वामी पालवाई पत्नि काशीराम, रामस्वरूप तनय काशीराम जाति लोधी हि० 1/4 भाग भूमि स्वामी सुखवली शान्तिबाई पुत्री रामदास जाति लोधी पता निवासी ग्राम हि० 1/4 भाग भूमि स्वामी	2436/2 2442 2443 2444/1 2432/2	0.146 0.398 0.140 0.100 0.194

कास्तकार / काल्पनिक भूमिकामी का नाम	खस्स नम्बर	आजिस एक्वा
2	3	5
28 तनय नन्दू जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2254/2 2255/3 2420 2421/1 2421/2 2422/1	0.163 0.090 0.010 0.240 0.036 0.100
31 धनीराम, मथुरा, सरमन तनय कडोरा जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2254/1 2255/1 2256/1 2263/1	0.534 0.134 0.129 0.036
32 देशराज तनय हरदास हि. 1/6 भाग धर्मदास तनय कलुवा हि. 1/6 ढीमर बिहारी, दयाराम त० दीना हि. 1/6 अच्छेलाल, हरप्रसाद, लक्ष्मन, नंदकिशोर तनय दीना हि. 1/2 भाग जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2255/2 2261 2262	0.032 0.050 0.061
33 हीरालाल तनय लल्ला पता नि० ग्राम भूमि स्वामी	2498/1 2486/1	0.413 0.067
34 रामबेटी पुत्री बंदी जाति बाढ़ई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2500	1.579
35 बैजनाथ, बाली तनय रददी पुनिया वि. रददी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2436/1	0.341
36 बैनीबाई वि. गुविन्दी, चैनू तनय गुविन्दी, रामकुंयर पुत्री गुविन्दी जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2436/3	0.093
37 श्री ठाकुर बिहारी जी मंदिर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी व्य. जिलाध्यक्ष महोदय टीकमगढ़	2061 2064 2065 2066	0.393 0.040 0.073 0.279
38 भुवन, कुल्लू मोती तनय कुट्टू कुईया बेवा कुट्टू पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी रत्तू शिवदीन तनय बंसिया जाति यादव पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी	2068	0.012
39 बुजलाल, बिहारी, मोहन तनय हीरा भागवती, शान्तिबाई पुत्री हीरा जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2069	0.016
40 जस्सू तनय बल्ला पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी बंशी, भूरा तनय रमला, भन्ती, फूला पुत्री रमला जाति लोधी पता नि० ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी	2074	0.007
41 विन्दावन, नाथराम तनय मन्नू 1/4 भाग भूमि स्वामी सीताराम, राकेश, जमना तनय ज्वालाप्रसाद मु लल्ली बेवा ज्वाला प्रसाद जाति ब्रा० पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी सहुद्रा, भमता, रामसच्ची पुत्री जसरथ जाति ब्रा० पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी रामेश्वर त० विन्दावन पटैरिया जाति ब्रा० पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी	2052 2055	0.029 0.176
42 पुनुवा तनय रिल्ली जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2054	0.061
43 नथुवा, दीनदयाल, जानकी, रामदयाल, राजाराम तनय गोकल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2053 2240	0.065 0.158
44 नथू तनय हरदरन मु सागुनिया बेवा हरदरन जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2038	0.489

कास्तकार / कब्जेदार भूमिस्वामी का नाम		खसरा नंबर	आर्जित रकम
	2	3	5
स्वामी	मोहनलाल, धनीराम, राजाराम, वैजनाथ त० भैयन जाति यादव पता नि. ग्राम भूमि	2119/2	0.020
46	कपूरा, झुल्ली तनय मर्दना जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1568/1	0.611
47	मुन्नी, कपूरा, झुल्ली तनय मर्दना विनिया कल्लू पुत्री मर्दना ढीमर भूमि स्वामी	1566 1567	0.081 0.902
48	मुन्नी, कपूरा, मुल्ली तनय मर्दना विनिया कल्लू पुत्री मर्दना ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1559	0.943
49	जस्सू त. बल्ला पता नि. ग्राम 1/4 भाग बंशी, भूरा तनय रमला नन्ही, फूला पुत्री रमला, पता नि. ग्राम 1/4 भाग वृजलाल, विहारी, नोहन त० हीरा, भागवती, शान्तिबाई पुत्री हीरा जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/2 बराबर भाग भूमि स्वामी	2073	0.010
50	खुमला तनय गिल्ला जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	2484/2 2486/2	0.219 0.024
51	जगदीश, रामरतन, वीरेन्द्र, सूरजभान सिंह त० कूरे जाति यादव नि. बुडेरा भूमि स्वामी	1508/1	0.979
52	प्रकाश चन्द्र तनय लक्ष्मन जाति जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1554/3	0.344
	योग	111	22,777 हे०

2. बानसुजारा बांध के दूष क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम सुजारा के भू-अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है।
3. भूमि के नंकशे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 5345-भू-अर्जन-री-1-2017

बड़वानी, दिनांक 26 अगस्त 2017

(अंतर्गत 'मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्य निति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की तहसील राजपुर जिला बड़वानी की नहरों के निर्माण हेतु ग्राम लिम्बई पटवारी हल्का नं. 10 तहसील राजपुर जिला बड़वानी म.प्र. के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल दिनांक 12-11-2014 के तहत आपसी सहमति से क्य किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति /संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित प्रस्तुत करे। नियत् अवधि पश्चात् किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

संक्र.	प्रकरण	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)				परिसम्पत्ति का विवरण
				सिंचित	असिंचित	पड़त	कुल	
1	245/अ-82 20-6-17	राजु पिता धन्या जाति भिलाला निवासी लिम्बई	29/12	—	0.160	—	0.160	—
2	246/अ-82 20-6-17	राजाराम पिता केशिया, प्रेमबाई बेवा केशिया, मन्या पिता शिवराम, सखाराम पिता धन्या भिलाला निवासी लिम्बई	231/27	—	0.065	—	0.065	—
3	247/अ-82 20-6-17	मोहन पिता बल्लु, मांगीलाल कैलाश पिता हिरालाल, जितेन्द्र गोपाल पिता कालु, मंगतिबाई बेवा कालु भिलाला निवासी लिम्बई	43/3, 44/2, 44/6	0.304	—	—	0.304	—
योग				0.304	0.225		0.529	

क्रमांक 5629-रीडर-भू-अर्जन-2017-रा.प्रा.क्र. 290-अ-82-2016-17

बड़वानी, दिनांक 8 अगस्त 2017

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना आमल्यापानी वितरण शाखा नहर एंव भामी माईनर 01 नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। ग्राम-गोठानिया तहसील तथा जिला बड़वानी में 4.269 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 10.55. एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है) : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना आमल्यापानी वितरण शाखा नहर एंव भामी माईनर 01 नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना आमल्यापानी वितरण शाखा नहर एंव भामी माईनर 01 नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-गोठानिया तहसील तथा जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

सं. क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	137/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.185	ज्ञानसिंग पिता इस्मल, जाति भील, पता निवासी ग्राम गोठानिया भूमि स्वामी भू-राजस्व
02	200	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.340	बद्री, कालु पिता जसु, हिरुबाई बेवा जसु, नानुराम, दयाराम पिता लक्ष्मण सकाराम कैलांश पिता लक्ष्मण ना.बा.गा.माँ पेमीबाई व पेमीबाई बेवा लक्ष्मण जस्मा पिता रत्नसिंग रामसिंग पिता खुमसिंग, कलसिंग पिता मोना, केकड़िया पिता मालसिंग जाति भील पता नि. ग्राम गोठानिया भूमि स्वामी भू-राजस्व
	202 } 204/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.185	
	204/4 } 204/7 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.165	
	214	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.525	
03	203	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.188	रान्या पिता जोगसिंग, जाति भील पता निवासी ग्राम, गोठानिया भूमि स्वामी भू-राजस्व
04	204/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	थावरिया, नानला, नानसिंग पिता सुनार सुरसिंग गंजी पिता रामलाल देमा पिता उदमा, जाति भील पता निवासी ग्राम, गोठानिया भूमि स्वामी भू-राजस्व
05	205	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.125	पदम पिता बाला तेरसिंग थवरिया पिता हमीर बालु पिता छितु रामसिंग रामलाल देमा पिता उमदा, घेरता, भावसिंग पिता केकड़िया, देवीसिंग मेसा चेना दयाराम हरजी कलमसिंग, गुरजी, भाया पिता भंगु व मंगली बेवा भंगु जाति भील पता निवासी ग्राम, गोठानिया भूमि स्वामी भू-राजस्व
	210	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	
06	212/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	सोमार पेमसिंग पिता नरसिंग, जाति भील पता निवासी ग्राम, गोठानिया भूमि स्वामी भू-राजस्व
	212/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.160	
07	212/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.225	कुंवरसिंग, जुवानसिंग, हिरालाल, भूलसिंग, मुन्ना, अनारसिंग, इन्दरसिंग पिता ढोकल्या, जाति भील पता नि. ग्राम, गोठानिया भूमि स्वामी भू-राजस्व

सं. क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
08	215	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.130	किशन, बिसन, बाबू, तेरसिंग, शिवराम, दादु पिता नहारसिंग, रायसिंग पिता दिपा, हरि पिता मिट्ठू, श्याणी पिता मिट्ठू जाति भील पता निवासी ग्राम, गोठानिया भूमि स्वामी भू—राजस्व
09	237	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.620	जामसिंग पिता गलसिंग, जाति भील पता निवासी ग्राम, गोठानिया भूमि स्वामी भू—राजस्व
10	242 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.380	रुस्तम, चेना, चन्द्रसिंग, गोपाल पिता आपासिंग, जाति भील पता नि. ग्राम, गोठानिया भूमि स्वामी भू—राजस्व
11	244	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	अनासिंग पिता दशरिया, जाति भील पता नि.ग्राम, गोठानियां भूमि स्वामी भू—राजस्व
12	245	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.180	गेना, भीना, पिता अमरसिंग, रामकी बेवा अमरसिंग, हजारिया पिता रतना, मोहन पिता भारसिंग, झेदा बेवा भारसिंग, दिलीप पिता पहाड़सिंग, धुमसिंग पिता रामसिंग, प्रताप पिता कलजी, जोगसिंग पिता गमानसिंग, गणपत, सनपत, सीलू पिता लालजी, रुमली, मगली पिता लालजी, जाति भील पता निवासी ग्राम, गोठानिया भूमि स्वामी भू—राजस्व
13	260 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	थाऊ पिता रंगीया, जाति भील पता निवासी ग्राम, गोठानिया भूमि स्वामी भू—राजस्व
14	260 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	लोण्या पिता खुश्याल, जाति भीलाला, पता नि. ग्रा.गोठानिया भूमि स्वामी भू—राजस्व
15	423 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.506	उदल तेरसिंग पिता इसमल जाति भील पता निवासी ग्राम गोठानिया भूमि स्वामी भू—राजस्व
	योग			4.269	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल
“कचनार” ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

खजुराहो विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरणों की सूचना

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2017

क्रमांक 4552/वि.यो./न.ग्रा.नि./2017 एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि खजुराहो निवेश क्षेत्र की विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरणों का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा(1) के उपबंधों के अनुसार प्रकाशित किया गया है, उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए निम्न स्थानों पर उपलब्ध हैं –

1. आयुक्त कार्यालय, सागर संभाग, सागर, म.प्र.
2. कलेक्टर कार्यालय, जिला छतरपुर म.प्र.
3. मुख्य, नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खजुराहो, म.प्र.
4. मुख्य, नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, राजनगर, म.प्र.
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, खजुराहो
6. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छतरपुर, म.प्र.

प्रस्तावित उपांतरण के बौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आगे जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश, के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "म.प्र. राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रारूप

संदीप यादव, आयुक्त-सह-संचालक.

खजुराहों विकास योजना 2011 में प्रस्तावित संशोधन का विवरण

क्र	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान	उपांतरण पश्चात प्रावधान
1	<p>अध्याय -4 4.3 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी -4-सा-1 स्वीकार्य उपयोग</p> <p>1. आवासीय ग्रामीण:-औषधालय,कार्यालय,बारातघर,विद्युत उप केन्द्र पम्प हाउस,पानी की टंकी,रेन बसेरा,धर्मशाला कांजी हाउस शहरीय:-छात्रावास,कार्यालय,उपासना स्थल,औषधालय वृद्धाश्रम, कुटीर उद्योग,हल्के वाहन मरम्मत दुकानें, बारात घर,विद्युत उप केन्द्र, जल प्रदाय सुविधा,रेन बसेरा,धर्मशाला,यातायात सुविधा केन्द्र, वाहन स्थल,संचार सुविधा केन्द्र,युवा सदन,क्लब 2. वाणिज्यिक :- स्वीकृत उपयोग फुटकर दुकानें,व्यापारिक एवं व्यवसायिक कार्यालय,सुविधा एवं सेवा दुकान एवं मरम्मत दुकानें,स्वल्पाहार,भोजनालय,धर्मशाला,कुटीर उद्योग (म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 अनुसार) संचार एवं यातायात, सुविधायें, सार्वजनिक कार्यालय, उद्यान, सामुदायिक केन्द्र मंडी, गोदाम, शीत गृह,थोक एवं फुटकर दुकानें, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक कार्यालय,सुविधा एवं सेवा दुकान, जलाऊ लकड़ी एवं कोयला गोदाम, तेलधानी, वर्कशाप एवं मरम्मत दुकानें, स्वल्पाहार, भोजनालय, धर्मशाला,उद्योग (म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 अनुसार) वाहन स्थानक, संचार एवं यातायात सुविधा केन्द्र, कार्यालय, उद्यान, सामाजिक केन्द्र, औषधालय। 3. सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक :-स्वीकार्य उपयोग 3.1 उपासना स्थल, अति आवश्यक दुकानें 3.2 शैक्षणिक अल्प बचत हेतु बैंक, पोस्ट ऑफिस,विस्तार योजन केन्द्र, आश्रम, अत्यावश्यक आवास आवास</p>	<p>अध्याय -4 4.3 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी -4-सा-1</p> <p>1. आवासीय ग्रामीण :- औषधालय,कार्यालय,बारातघर,विद्युत उप केन्द्र पम्प हाउस,पानी की टंकी,रेन बसेरा,धर्मशाला कांजी हाउस, ईधन भराव केन्द्र. शहरीय:- छात्रावास,कार्यालय, उपासना स्थल, औषधालय, वृद्धाश्रम, कुटीर उद्योग,हल्के वाहन मरम्मत दुकानें, बारात घर, विद्युत उप केन्द्र, जल प्रदाय सुविधा, रेन बसेरा, धर्मशाला, यातायात सुविधा केन्द्र, वाहन स्थल,संचार सुविधा केन्द्र, युवा सदन,क्लब, ईधन भराव केन्द्र, मेरेज गार्डन, शॉपिंग मॉल।</p> <p>2. वाणिज्यिक :- स्वीकृत उपयोग फुटकर दुकानें, व्यापारिक एवं व्यवसायिक कार्यालय,सुविधा एवं सेवा दुकान एवं मरम्मत दुकानें, स्वल्पाहार, भोजनालय, धर्मशाला, कुटीर उद्योग (म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 अनुसार) संचार एवं यातायात सुविधायें, सार्वजनिक, कार्यालय, उद्यान, सामुदायिक केन्द्र,बारात घर मंडी, गोदाम,शीत गृह,थोक एवं फुटकर दुकानें, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक कार्यालय,सुविधा एवं सेवा दुकान,जलाऊ लकड़ी एवं कोयला गोदाम, तेलधानी, वर्कशाप एवं मरम्मत दुकानें, स्वल्पाहार, भोजनालय, धर्मशाला,उद्योग (म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 अनुसार)वाहन स्थानक,संचार एवं यातायात सुविधा केन्द्र,कार्यालय, उद्यान, सामाजिक केन्द्र, औषधालय, मेरेज गार्डन, शॉपिंग मॉल, मल्टीलेव्स। 3. सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक :- स्वीकार्य उपयोग 3.1 उपासना स्थल, अति आवश्यक दुकानें, ईधन भराव केन्द्र, मेरेज गार्डन। 3.2 शैक्षणिक अल्प बचत हेतु बैंक, पोस्ट ऑफिस,विस्तार योजना केन्द्र, आश्रम, अत्यावश्यक आवास केन्द्र, ईधन भराव केन्द्र</p>

<p>3.3 प्रशिक्षण संस्था, अनुसंधान केन्द्र अनाथालय, स्वल्पहार एवं भोजनालय</p> <p>4. औद्योगिक :- स्वीकार्य उपयोग</p> <p>4.2 कृषि आधारित उद्योग ऐसे सभी कुटीर एवं लधु उद्योग जिसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण न होता हो। प्रिटिंग प्रेस</p> <p>6 यातायात उपयोग:-</p> <p>यातायात नगर, वाहन स्थानक, गोदाम एवं शीतगृह, भवन सामग्री यार्ड, रिक्शा स्टैण्ड, उद्यान, पेट्रोल पंप एवं सर्विस स्टेशन, ट्रान्सपोर्ट एवं अग्रेषण एजेन्सी, वाहन/मरम्मत दुकान, स्वल्पहार गृह/डावा, उपचार केन्द्र, सार्वजनिक सुविधायें सुविधाएं, मार्ग वाहन विराम स्थल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, धर्मशाला।</p> <p>7. आमोद प्रमोद :- स्वीकार्य उपयोग</p> <p>7.2 जल तटीय आमोद प्रमोद</p> <p>सेवा दुकानें, होटल, मोटल, अतिथि गृह, हाली डे होम्स, आध्यात्मिक एवं योगा केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र इधन भराव केन्द्र</p> <p>8. हरित क्षेत्र :- स्वीकार्य उपयोग</p> <p>8.1 संरक्षणीय :-</p> <p>(अ) संवेदनशील क्षेत्र स्वल्पहार/अल्पाहार गृह, सार्वजनिक सुविधायें एवं उपयोगी सेवायें,</p> <p>(इ) कृषि एवं फल उद्यान, पुष्प, कृषि</p> <p>8.2 सामान्य :- स्वीकार्य उपयोग</p> <p>(अ) कृषि ईंट भट्टा, मुर्गी पालन, डेयरी, पशुपालन, खदान, इत्यादि</p> <p>(ब) नगर वन, उप वन स्वल्पहार, अल्पाहार, गृह, चिडियाधर, पर्यटक/कुटीर/रेशम केन्द्र, मत्स्यपालन केन्द्र इत्यादि</p> <p>4.4 विकास कार्य एवं भवन निर्माण के प्रावधान :-</p> <p>वे प्रावधान जो इस अध्याय में सम्मिलित नहीं है, उनको भूमि विकास नियम 1984 में निहित प्रावधानों के अनुसार माना जावेगा।</p> <p>4.4 (द) छविगृह:-</p> <p>छविगृहों के मापदण्ड :-</p> <p>छविगृहों के मापदण्ड मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम 53 (3)(दो) के अनुरूप होंगे।</p>	<p>3.3 प्रशिक्षण संस्था, अनुसंधान केन्द्र, अनाथालय, स्वल्पहार एवं भोजनालय इधन भराव केन्द्र</p> <p>4. औद्योगिक :- स्वीकार्य उपयोग</p> <p>4.2 कृषि आधारित उद्योग ऐसे सभी कुटीर एवं लधु उद्योग जिसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण न होता हो। प्रिटिंग प्रेस, इधन भराव केन्द्र</p> <p>6. यातायात उपयोग:-</p> <p>व्यापारिक शोरूम, होटल, मोटल, धर्मशाला, उपासना केन्द्र, मदिरालय, ब्लूब, इधन भराव केन्द्र।</p> <p>7. आमोद प्रमोद :- स्वीकार्य उपयोग</p> <p>7.2 जल तटीय आमोद प्रमोद</p> <p>सेवा दुकानें, होटल, मोटल, अतिथि गृह, हाली डे होम्स, आध्यात्मिक एवं योगा केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र इधन भराव केन्द्र</p> <p>8. हरित क्षेत्र :- स्वीकार्य उपयोग</p> <p>8.1 संरक्षणीय :-</p> <p>(अ) संवेदनशील क्षेत्र स्वल्पहार/अल्पाहार गृह, सार्वजनिक सुविधायें एवं उपयोगी सेवायें,</p> <p>(इ) कृषि एवं फल उद्यान, पुष्प, कृषि</p> <p>8.2 सामान्य :- स्वीकार्य उपयोग</p> <p>(अ) कृषि ईंट भट्टा, मुर्गी पालन, डेयरी, पशुपालन, खदान, गोदाम, वन आवास, इधन भराव केन्द्र, बारात घर, फार्म हाउस, मैरेज गार्डन, मल्टीप्लेक्स।</p> <p>(ब) नगर वन, उप वन स्वल्पहार/अल्पाहार गृह, चिडियाधर, पर्यटक/कुटीर/रेशम केन्द्र, मत्स्यपालन केन्द्र इत्यादि</p> <p>4.4 विकास कार्य एवं भवन निर्माण के प्रावधान :-</p> <p>वे प्रावधान जो इस अध्याय में सम्मिलित नहीं है, उनको भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों तथा कालांतर से होने वाले संशोधनों सहित प्रावधानों के अनुसार माना जावेगा।</p> <p>4.4 (द) छविगृह:-</p> <p>छविगृहों के मापदण्ड :-</p> <p>छविगृहों के मापदण्ड मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम 53 (3)(दो) के अनुरूप होंगे।</p>
---	--

<p>होना अनिवार्य है। इस संबंध में अन्य नियमन निम्न प्रकार होंगे:-</p> <table border="0"> <tr> <td>1. निर्मित क्षेत्र</td><td>40 प्रतिशत</td></tr> <tr> <td>2. न्यूनतम खुला स्थान सामने</td><td>12 मीटर</td></tr> <tr> <td>3. आजू—बाजू</td><td>4.5 / 4.5 मीटर</td></tr> <tr> <td>4. पार्श्व</td><td>4.5 मीटर</td></tr> </table> <p>प्रासंगिक दुकानें छबिगृह प्रांगण में स्थापित की जा सकेंगी किन्तु शर्त यह है कि कुल निर्मित क्षेत्र भू—खण्ड के क्षेत्र के 40 प्रतिशत से अधिक न हो। भू—खण्ड में कार, स्कूटर व सायकिल के लिए वाहन विराम स्थलों का समुचित प्रावधान करना होगा।</p> <p>4.4 (फ) सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक:-</p> <p>सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र निम्न प्रकार होगा।</p> <p>खजुराहो : भूखंड क्षेत्र तथा स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र (सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक)</p> <p>सारणी 4—सा—5 अनुसार</p> <p>4.5 भूमि के विकास तथा उसके उपयोग पर नियंत्रण:-</p> <p>राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 85 की उपधारा (1)तथा(2) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए म.प्र. नगरानि नियम 1975 बनाए गए हैं। उक्त नियामें के प्रावधान निम्न प्रकार हैं:- जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रबंधकों, अर्द्ध सार्वजनिक निकायों, केन्द्रीय एवं राज्य शासन के विभागों तथा निजी विकास हेतु पालन करना आवश्यक होगा। यदि संघ सरकार अपने लिए किसी भूमि का विकास करने का आशय रखती हो तो उसका भरसाधक अधिकारी धारा 27 की उपधारा (1) के अंतर्गत संचालक को सरकार के ऐसा करने के आशय की तरह विकास कार्य को हाथ में लेने की कम से कम 30 दिन पूर्व जानकारी देगा जिसमें उसकी (विकास की) विशिष्टयां दी जायेंगी जिसके साथ—साथ निम्नलिखित दस्तावेज तथा निम्न जानकारी दी जायेगी:-</p> <p>4.5 भूमि के विकास तथा उसके उपयोग पर नियंत्रण:-</p> <p>(9) (अ)</p> <p>संघ सरकार, राज्य सरकार, किसी प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन गठित किए गए किसी विशेष प्राधिकारी से भिन्न व्यक्ति भूमि</p>	1. निर्मित क्षेत्र	40 प्रतिशत	2. न्यूनतम खुला स्थान सामने	12 मीटर	3. आजू—बाजू	4.5 / 4.5 मीटर	4. पार्श्व	4.5 मीटर	<p>4.4 (फ) सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक:-</p> <p>सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक के मापदण्ड मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम 49 (1) में सारणी 6 के अनुरूप होंगे।</p> <p>4.5 भूमि के विकास तथा उसके उपयोग पर नियंत्रण:-</p> <p>विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 16 के प्रावधानानुसार दस्तावेज / जानकारी संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।</p> <p>4.5 भूमि के विकास तथा उसके उपयोग पर नियंत्रण:-</p> <p>(9) (अ)</p> <p>संघ सरकार, राज्य सरकार, किसी प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन गठित किए गए किसी विशेष प्राधिकारी से भिन्न व्यक्ति भूमि विकास हेतु</p>
1. निर्मित क्षेत्र	40 प्रतिशत								
2. न्यूनतम खुला स्थान सामने	12 मीटर								
3. आजू—बाजू	4.5 / 4.5 मीटर								
4. पार्श्व	4.5 मीटर								

<p>विकास हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये नियमों की धारा 29 की उपधारा (1) में दिये गए प्रपत्र 7 पर अनुज्ञा हेतु आवेदन करेगा जबकि भूमि के विकास करने के लिए प्रारूप 8 जिसके संलग्न अनुसूची और विस्तृत विवरणिका होगी, आवेदन करेगा पर कोई विकास कार्य कार्यान्वित करने का आशय रखता हो, अनुज्ञार के हेतु प्रपत्र 7 धारा 29 (1) के अंतर्गत आवेदन करेगा और जिसके साथ ऐसे दस्तावेज भेजें जावेंगे जैसा कि विहित किया गया है।</p> <p>4.5 भूमि के विकास तथा उसके उपयोग पर नियंत्रणः—</p> <p>(9)(क)</p> <p>भवन बनाने के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि के विकास के लिए 50 रुपये प्रति एकड़ अथवा उसके भाग के लिए।</p> <p>अनुज्ञा प्रपत्रः—</p> <p>भूमि विकास की अनुज्ञा धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रपत्र 9 तथा 11 में संबंधित व्यक्ति को प्रेषित की जावेगी तथा उसकी प्रतियां संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, नगर तथा ग्राम विकास अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास अप्राधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों को मय स्वीकृत मानचित्र के भेजी जावेगी। मानचित्र संचालक द्वारा अनुमोदित तथ हस्ताक्षरित किया जावेगा। यदि कोई परिवर्तन हो तो वह लाल पंक्तियों से दर्शाया जावेगा तथा स्वीकृत मानचित्र की दो प्रतियां आवेदक को भेजी जावेंगी। यदि अधिक परिवर्तन हो तो एक नया मानचित्र परिवर्तन को दर्शाए हुए संचालक द्वारा मांगा जावेगा।</p>	<p>अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये नियमों की धारा 29 की उपधारा (1) में दिये गए नियम 14 परिशिष्टि क(1) पर अनुज्ञा हेतु आवेदन करेंगी और जिसके साथ ऐसे दस्तावेज भेजें जावेंगे जैसा कि विहित किया गया है।</p>
---	--

- टीपः—** 1. खजुराहो विकास योजना में सम्पूर्ण संवेदनशील क्षेत्र एवं विशेष संवेदनशील क्षेत्र में भवनों कि उचाई 7 मीटर से अधिक नहीं होगी। विशेष क्षेत्र में केवल राज नगर में बहुमंजिला विकास की अनुमति होगी।
- 2.अन्य समस्त प्रावधान भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार मान्य होंगे।

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील हातोद, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

शा. प्र. क्र. 12-अ-82-20116-क्र. 1119-भू-अर्जन-2017

हातोद, दिनांक 9 अगस्त 2017

प्रस्तुप “घ”
(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 151/भू-अर्जन/2017, हातोद, दिनांक 17/02/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बौद्धी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— इंगोरिया, तहसील— बड़नगर, जिला— उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.03.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार केलिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	कराड़िया प.ह.नं.— 30	77/2	0.029
			252/2	0.047
			252/3	0.085
			253/1	0.121
			254	0.023

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काकमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार केलिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	कराड़िया प.ह.नं.- 30	361/1 255 353 354 360/1 360/2 292 352/2 366/2 366/7 405/1 412/1 413/2 438/2/1 438/2/2 438/1 439 440/1 440/2 441/1 445	0.025 0.002 0.061 0.011 0.198 0.097 0.024 0.068 0.013 0.067 0.115 0.068 0.153 0.133 0.132 0.095 0.112 0.001 0.115 0.166 0.002
कुल योग		26		1.963

रा. प्र. क्र. 06-अ-82-2016-17- क्र. 1122-भू-अर्जन-2017

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-209/भू-अर्जन/2017, हातोद, दिनांक 02/03/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बौद्धी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.03.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार केलिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	नेवरी प.ह.नं.- 26	374	0.054
			632/2	0.164
			626/1	0.169
			626/2	0.036
			626/3	0.058
			627/1	0.037
			627/2	0.086
			628	0.094
			629	0.089

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काकर्मांक	खसरा कर्मांक	उपयोग के अधिकार केलिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	नेवैरी प.ह.नं.- 26	631/1 631/2 633/2 635/1/3 635/1/4 635/4 635/3 637/3 639/2 639/3 639/4 642/1/1/1 642/3 646/4 642/9 644/1/1 ब 644/1/2 654/2 654/3/1 654/3/2 654/4 654/5 654/8 655/2 655/3/2 693/2 693/5 642/4	0.029 0.148 0.031 0.129 0.043 0.093 0.108 0.140 0.117 0.108 0.047 0.115 0.177 0.017 0.010 0.022 0.007 0.022 0.027 0.029 0.059 0.064 0.072 0.122 0.036 0.004 0.061 0.102
कुल योग			37	2.726

रा. प्र. क्र. 02-अ-82-2016-17- क्र. 1125-भू-अर्जन-2017

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोकता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 161/भू-अर्जन/2017, हातोद, दिनांक 17/02/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बाँधी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— इंगोरिया, तहसील— बड़नगर, जिला— उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोकता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.03.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार केलिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	आगरा प.ह.नं.— 04	83	0.003
			85/1	0.005
			87	0.003
			92	0.068
			88	0.036

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काकर्मांक	खसरा कर्मांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	आगस्त प.ह.नं.— 04	89/1/2	0.036
			91/1	0.050
			91/2	0.036
			93/1	0.058
			93/2	0.086
			94/1	0.077
			94/2	0.002
			96/2	0.072
			98/2	0.122
			131/2	0.054
			131/3	0.052
			131/1/1	0.119
			132/1/1	0.023
			132/2/min-1	0.014
			134/1	0.117
			134/2	0.324
कुल योग			21	1.357

रा. प्र. क्र. 07-अ-82-2016-17-क्र. 1581-भू-अर्जन-2017

देपालपुर, दिनांक 17 अगस्त 2017

प्ररूप— “घ”
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक— 739/भू-अर्जन/2017, देपालपुर, दिनांक 12/04/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा—मालवा—गंभीर लिंक परियोजना की बौद्धी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम—बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम—इंगोरिया, तहसील—बड़नगर, जिला—उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.04.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	देपालपुर	भीलबडोली प.ह.नं.— 11	12	0.028
			2/1	0.039
			2/2	0.110
			2/3	0.058
			2/4	0.051

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	देपालपुर	भीलबडोली प.ह.नं.- 11	10/2	0.086
			10/3	0.072
			15/1	0.110
			15/2	0.060
			67/763/2	0.010
			130/2	0.068
			131	0.509
			124/1	0.072
			128/1	0.072
			129/1	0.096
			129/2	0.125
			130/4	0.092
			130/5	0.054
			140/1	0.021
			140/4	0.032
			140/6	0.002
			142/3	0.122
			147/1	0.045
			147/3/2	0.064
			148	0.093
150/1	0.038			
150/3	0.056			
150/4	0.054			
कुल योग	28	2.239		

रा. प्र. क्र. 13-अ-82-2016-17-क्र. 1584-भू-अर्जन-2017

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 769/भू-अर्जन/2017, देपालपुर, दिनांक 12/04/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.04.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	देपालपुर	चिमनखेड़ी प.ह.नं.— 44	307/2	0.012
			308/2	0.004
			347	0.067
			310/1	0.114
			311/1	0.054

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	देपालपुर	चिमनखेड़ी प.ह.नं.— 44	311/2	0.077
			311/3	0.029
			311/5	0.016
			316/1	0.092
			316/2	0.018
			317/4	0.095
			328/1	0.036
			346	0.088
			348	0.083
			350	0.083
			349/1	0.056
			351/4	0.055
			351/1 ८३	0.050
				0.045
351/2	0.004			
कुल योग	± १९	1.078		

क्र. 1587-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्रमांक 02-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 714/भू-अर्जन/2017, देपालपुर, दिनांक 12/04/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बौद्धी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.04.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	देपालपुर	छोडोदा प.ह.नं.- 06	10/1	0.038
			10/2	
			131	0.068
			130/3	0.068
			130/1	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	देपालपुर	छडोदा प.ह.नं.- 06	94/1	0.064
			123/3	0.138
			123/2	0.046
			122	0.103
			120/2	0.064
			119/3	0.081
			118	0.120
			277/3	0.041
			117/1	0.131
			116/2/1	0.033
			116/2/2	0.033
			91/2	0.016
			92/6	0.025
			92/3	0.029
			92/5	0.043
			92/4	0.030
			92/2/1	0.059
			92/1	0.016
			93/1	0.020
			93/2	0.149
			93/3	0.040
			95/1/2	0.139
			83	0.065
			277/1	0.066
			84/3	0.005
			278/1	0.043
			277/2	0.062
			314/2	0.120
			326/2	0.114
			325/2	0.061
			325/3	0.057
			360/1	0.013
			360/2	0.141
			353/1	0.016
			359/571/1	0.030
359/571/2	0.030			
359/571/3	0.072			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	देपालपुर	छडोदा प.ह.नं.— 06	358	0.050
			357	0.103
			355	0.240
			354/1	0.056
			353/2	0.147
			343/2	0.014
			353/3	0.076
			352/2	0.020
			371/1/2	0.014
			372/3	0.033
			352/3	0.109
			372/1/1	0.097
			372/1/2	0.029
			372/2	0.044
			372/4	0.083
			373/3	0.097
			375/2	0.078
			376/2	0.010
			376/1	0.061
			376/3	0.015
			379/1	0.078
			377/3	0.017
			377/1	0.072
			347/3	0.003
			420/1	0.004
		कुल योग	67	4.049

क्र. 1590-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्रमांक 08-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 744/भू-अर्जन/2017, देपालपुर, दिनांक 12/04/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बौद्धी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— इंगोरिया, तहसील— बड़नगर, जिला— उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.04.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	देपालपुर	खिमलावदा प.ह.नं.— 36	5	0.066
			398	0.004
			7	0.219
			13	
			11/1	0.024

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	देपालपुर	खिमलावदा प.ह.नं.- 36	11/2	0.048
			371	0.032
			387	0.231
			393	0.116
			416	
			394/1	0.006
			395	0.036
			399/2	0.068
			400	0.048
			405/1	0.104
			415/2	0.060
			417	0.049
			418/1	0.195
			428	0.067
			428/578	0.057
			455/1	0.196
			455/2	0.146
			467/1	0.124
			559/3	0.034
			468/1	0.043
			469	0.041
			468/2	0.080
			470/2	0.088
			471/1	0.010
			471/2	0.083
			472	0.082
			474	0.028
			490/1/1/1	0.049

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	देपालपुर	खिमलावदा प.ह.नं.— 36	494/3	0.002
			508/2	0.074
			509	0.093
			549/1	0.112
			555/9	0.048
			568	0.097
			556/1	0.094
			556/2	0.009
			557	0.038
			559/4	0.102
			559/5	0.046
			560/4	0.029
			564/1	0.041
			564/2	0.026
			567/1	0.085
570	0.058			
कुल योग		49	3.388	

M

क्र. 1593-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्रमांक 01-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 709/भू-अर्जन/2017, देपालपुर, दिनांक 12/04/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बौद्धी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— इंगोरिया, तहसील— बड़नगर, जिला— उज्जैन तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.04.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	देपालपुर	कडोदा प.ह.नं.— 20	1/1	0.072
			2	0.064
			3	0.094
			33/1	0.097
			33/2	0.034

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	देपालपुर	कडोदा प.ह.नं.- 20	33/6	0.024
			33/3	0.094
			33/4	0.101
			36/1	0.092
			37/1	0.070
			37/2	0.054
			37/3	0.055
			37/4	0.072
			37/5	0.020
			46	0.111
			48	0.061
			49/1/1	0.023
			49/2	0.044
			49/1/2	0.022
			49/1/3	0.020
			49/1/4	0.020
			51/6	0.017
		कुल योग	22	1.261

क्र. 1381-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्रमांक 15-अ-82-2016-17

हतोद, दिनांक 12 सितम्बर 2017

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 923/भू-अर्जन/2017, हातोद, दिनांक 01/06/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— बोरखेड़ा भल्ला, तहसील— घट्टिया, जिला— उज्जैन तक नर्मदा—मालवा—गंभीर लिंक परियोजना की दौर्यी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	बसान्द्रा, प.ह.न. — 12,	581/1	0.124
			536/1	0.042
			581/2/1	0.009
			578/3	0.002
			578/4	0.015

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काकर्मांक	खसरा कर्मांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	बसान्द्रा, प.ह.न. - 12,	579 580/2 580/1 564/2/2 564/1/1 563/4 538 535/1/3 535/1/1 537 536/2 535/1/2 535/2 518 519/4 520 515 514 150/2 147 148/1 143/3 143/2 141 139 114/3 114/4 114/1 114/2 113 111/4 112 110/1 110/5/2 110/5/1	0.022 0.107 0.151 0.039 0.110 0.061 0.053 0.005 0.032 0.109 0.003 0.084 0.123 0.126 0.137 0.213 0.154 0.024 0.100 0.106 0.090 0.022 0.058 0.200 0.066 0.040 0.116 0.085 0.091 0.014 0.085 0.313 0.072 0.140
कुल योग			40	3.343

क्र. 1384-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्रमांक 19-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 918 / भू-अर्जन/2017, हातोद, दिनांक 01 / 06 / 2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दोंयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार की अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	हातोद, प.ह.न. - 21	44/1	0.039
			337/2/1	0.018
			43	0.192
			38/2	0.098
			42/min-1	0.063

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	हातोद, प.ह.न. - 21	42/min-2	0.058
			41	0.080
			40	0.021
			38/1	0.075
			33	0.058
			35	0.058
			18/2/4	0.073
			18/2/1	0.066
			18/1/2	0.035
			18/2/2	0.073
			18/2/3	0.068
			18/3/2	0.022
			18/3/1/3/1	0.056
			18/3/1/4	0.192
			19/9/1	0.018
			19/9/2	0.018
			19/4	0.110
			19/6	0.072
			19/7	0.120
			22	0.034
			176	0.080
			21	0.017
			82/1	0.341
			83/4	0.032
			173/1	0.171
			174/1	0.104
			141	0.046
			142	0.011
			156	0.060
			161/1	0.066
			161/2	0.055
			160	0.071
			260/1	0.171

1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	हातोद, प.ह.न. — 21	262	0.029
			332/3	0.120
			333/1/1	0.087
			334/2/2/2 MIN-2	0.017
			333/1/2	0.102
			334/2/2/1/2	0.003
			333/2/2	0.152
			333/2/1	0.002
			334/2/1/5	0.125
			331/1/1	0.102
			311	0.016
			310/1/2	0.144
			310/1/1	0.225
कुल योग			51	4.066

क्र. 1387-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्रमांक 13-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डकट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 928/भू-अर्जन/2017, हातोद, दिनांक 01/06/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— बोरखेड़ा भल्ला, तहसील— घट्टिया, जिला— उज्जैन तक नर्मदा—मालवा—गंभीर लिंक परियोजना की दौरी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डकट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरणा कर इसकी सूचना भूमिकामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगणों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	काकरियापाल, प.ह.न. — 10	786/2	0.110
			785/1	0.091
			784	0.206
			781/4	0.034
			781/3	0.037
			780/2	0.043

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काकमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	काकरियापाल प.ह.नं. 10	780/1 739 738/1/2 738/1/1 737/2 736/1 735/1 706/1 706/2 688/2 689/4 689/2 689/3 689/1 690 624/3/2/1/1 624/2 624/1/2 KHA 623/3 623/2/2 621 622 620/1/1 620/1/2 620/2 481/2 481/1 485/1/3/2 482 483 484 485/1/4/1 485/1/2/2 485/1/1 496/1/2/1	0.031 0.106 0.076 0.084 0.068 0.110 0.091 0.114 0.043 0.134 0.040 0.040 0.034 0.039 0.019 0.090 0.123 0.186 0.062 0.064 0.147 0.030 0.046 0.053 0.052 0.058 0.032 0.011 0.085 0.078 0.019 0.062 0.158 0.108
कुल योग			41	3.014

क्र. 1390-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्रमांक 17-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-913 /भू-अर्जन/2017, हातोद, दिनांक 01/06/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दौँयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार की अर्जन की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	बड़ीकलमेर प.ह.नं.- 33	274	0.055
			106	0.065
			108	0.108
			105/1	0.003
			105/2	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काकर्माक	खसरा कर्माक	उपयोग के अधिकार केलिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	बड़ीकंलमेर प.ह.नं.- 33	109/3	0.029
			109/2	0.039
			109/1	0.030
			119/2	0.020
			119/1	0.049
			130/1/1	0.032
			131/2/2	0.031
			131/3	0.076
			131/1/1	0.073
			124/2/min-2	0.004
			125/2	0.072
			125/1	0.067
			126/1	0.090
			126/2	0.052
			164/1	0.060
			165/1	0.001
			167/1	0.085
			164/2	0.007
			165/2	0.068
कुल योग			24	1.116

क्र. 1393-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्रमांक 16-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— ९३७/भू-अर्जन/2017, हातोद, दिनांक ११ / ११/२०१७ द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— बोरखेड़ा भल्ला, तहसील— घट्टिया, जिला— उज्जैन तक नर्मदा—मालवा—गंभीर लिंक परियोजना की दौरी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	नाहरखेड़ा, प.ह.न.—11	252	0.125
			247	0.050
			246	0.043
			248/2	0.048
			245/2	0.046
			245/1	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी बल्काक्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार केलिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	नाहरखेड़ा प.ह.न.-11	233/1	0.138
			72/2/2	0.039
			72/2/1	0.133
			72/1	0.109
			73	0.086
			65/2	0.016
			65/1	0.273
			64	0.071
			48/1	0.045
			48/3	0.014
			48/2	0.028
			45	0.120
			44/2	0.085
			44/1	0.084
			42	0.111
			41/2/2	0.114
			41/1/3	0.073
			41/1/2	0.064
			41/1/1	0.066
			39	0.920
		कुल योग	26	2.011

क्र. 1396-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्रमांक 14-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक ७३३ /भू-अर्जन/2017, हातोद, दिनांक ०१/०६/२०१७ द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घटिया, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की दोयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की धोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्र.न के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्पामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	काकरिया बोडिया, प.ह.न.-19	79	0.130
			76/5	0.123
			76/2	0.059
			76/4	0.002
			76/1	0.088
			74/1	0.084
			149/2	0.005
			149/3	0.034
इन्दौर	हातोद	काकरिया बोडिया, प.ह.न.-19	34/2 MIN-2	0.107
			74/2 MIN-1	0.006
			72/1	0.043
			69/1	0.012
			67/3	0.162
			67/2	0.026
			88/1	0.152
			59/3	0.038
			59/4	0.064
			58/343	0.005
			58	0.256
			56	0.011
			54/1/2	0.110
			54/2	0.043
			53/2/2	0.097
			53/2/1	0.057
			95	0.040

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काकर्मांक	खसरा कर्मांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वालीभूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
			48/2	0.019
			38/1	0.043
			100/1	0.035
			101/1	0.302
			226	0.147
			163/2	0.098
			162/7	0.029
			162/5	0.043
			162/2	0.005
			162/1	0.112
			157/2/1	0.002
इन्दौर	हातोद	काकरिया बोडिया, प.ह.नं. 19	163/1	0.034
			164/2	0.216
			166/1	0.064
			165/3	0.164
			150/2	0.094
			148/2	0.154
			148/1	0.060
			140/3	0.001
			140/4	0.291
			141/1	0.050
कुल योग			46	3.717

क्र. 1399-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्रमांक 18-अ-82-2016-17

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-943/भू-अर्जन/2017, हातोद, दिनांक 01/06/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- बोरखेड़ा भल्ला, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंगीर लिंक परियोजना की दौर्यी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.06.2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लो-ज समागम स्थल पर अधिसूचना चर्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	रोजड़ी, प.ह.न.-22	188/2/1 188/1/1 187/3 187/2 187/1 182/2	0.051 0.089 0.091 0.056 0.035 0.029

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वालीभूमि (डेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	रोजड़ी, प.ह.नं. 22	189/1/1	0.134
			170	0.071
			18/2	0.030
			17/1/2	0.043
			17/1/1	0.067
			14/1	0.022
			12/1/2	0.081
			12/1/1/2	0.091
			12/1/1/1	0.098
			11/1/1/2/1	0.024
			11/1/1/2/2	0.127
			11/3	0.006
			11/2	0.133
			26	0.025
			27/1	0.015
कुल योग			21	1.318

नरेन्द्रनाथ पाण्डे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2017

क्र. एफ-15-2-2016-सात-शाखा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित गांवों के लिए, उसके कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाए:—

अनुसूची

तहसील : बजाग

क्रमांक

पटवारी हल्का क्रमांक सहित गांवों के नाम

जिला डिण्डौरी

अधिकार-अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत
अधिकारी का पदनाम

(1)

(2)

(3)

01.

1. मूल ग्राम—सेनगुड़ा
2. नवीन ग्राम—अमीनपुर
प.ह.नं. 225.

अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित),
जिला-डिण्डौरी.

(1)	(2)	(3)
02	1. मूल ग्राम—रैतवार रैयत 2. नवीन ग्राम—डोंगरी टोला प.ह.नं. 236.	

तहसील : शाहपुरा

जिला डिण्डौरी

क्रमांक	पटवारी हलका क्रमांक सहित गांवों के नाम	अधिकार-अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
---------	--	--

(1)	(2)	(3)
1	1. मूल ग्राम—मगर मय टगर 1. नवीन ग्राम—पिपरहा टोला प.ह.नं. 06.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला-डिण्डौरी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2017

क्र. एफ-15-2-2016-सात-शा.-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना
क्र. एफ-15-2-2017-सात-शा.-6, दिनांक 14 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती ओगरे, उपसचिव.

Bhopal, the 14th September 2017

No. F-15-02-2016-VII-Sec.6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE

Tahsil : Bajag

Serial No. Name of Village (s) with P.C. No.

District: Dindori
Designation of the officer authorised to
prepare record of rights

(1)	(2)	(3)
01	1. Original Village—Senguda 2. New Village—Ameenpur P. C. No. 225.	Superintendent of Land Records, (regular), District-Dindori.
02	1. Original Village—Raitvar ray. 2. New Village—Dongaritola P. C. No 236.	

Tahsil : Shahpura

Serial No. Name of Village (s) with P.C. No.

District: Dindori
Designation of the officer authorised to
prepare record of rights

(1)	(2)	(3)
01	1. Original Village—Mager May Tager 2. New Village—Piparahi tola P. C. No. 06.	Superintendent of Land Records, (regular), District-Dindori.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BHARTI OGREY, Dy. Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 21 अगस्त 2017

प्र. क्र. 04-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग अर्जित रकबा (हे. में)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	घुवारा	बछरावनी	30.750		अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)/ भू अर्जन अधिकारी बड़ामलहरा, जिला छतरपुर (म. प्र.).	बान सुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा, जिला छतरपुर के कार्यालय में देखे जा सकते हैं।

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 05-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग अर्जित रकबा (हे. में)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	घुवारा	बड़ेरा	29.636		अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)/ भू अर्जन अधिकारी बड़ामलहरा, जिला छतरपुर (म. प्र.).	बान सुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा, जिला छतरपुर के कार्यालय में देखे जा सकते हैं।

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 अगस्त 2017

प्र. क्र. 167-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्वरस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत रुंज मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण ग्राम भुजवई स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 16 सितम्बर 2016 से एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कण्डिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	भुजवई	निजी भूमि रकबा 6.27 है।	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना।	रुंज मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 168-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्वरस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत रुंज मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण ग्राम विश्रामगंज स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 6 मई 2016 से एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कण्डिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	विश्रामगंज	निजी भूमि रकबा 227.93 है।	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना।	रुंज मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है।

पन्ना, दिनांक 1 अगस्त 2017

प्र. क्र. 23-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्वरस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके

द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) पन्ना	(2) गुनौर	(3) मुड़वारी	(4) निजी भूमि रकबा 0.250 है. एवं शासकीय, भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 0.250 है.	(5) लोक निर्माण विभाग सेतू निर्माण संभाग, सागर.	(6) सुनवारी-मुड़वारी मार्ग पर गल्को नदी पर पुल के पहुँच मार्ग ग्राम मुड़वारी.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) लोक निर्माण विभाग सेतू निर्माण संभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 29 अगस्त 2017

क्र. 5333-जि.भू.अ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एटद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

उक्त संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	भूमि का विवरण लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	(5)	(6)
(1) सिवनी	(2) तहसील-धनौरा रा.नि.मं.-धनौरा	(3) ग्राम-रैपुरा ब. नं.- प. ह. नं.-44	(4) 0.12 हेक्टेयर एवं उस पर ^{स्थित संपत्तियां}	(5) कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी।	(6) अपर तिलबारा नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु।

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी घंसौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बांधी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कार्यालय, कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5334-जि.भू.अ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की अवधि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

उक्त संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगे:—

अंनसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन				
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-धनौरा रा.नि.मं.-धनौरा	ग्राम-बोरिया ब. नं.- प. ह. नं.-39	0.06 हेक्टेयर एवं उस पर ^{स्थित संपत्तियाँ.}	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी.	अपर तिलबारा नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु.				

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी घंसौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कार्यालय, कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 5335-जि.भू.अ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने का लिये प्राधिकृत करता है।

उक्त संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 क्षेत्रफल (हे. में.)	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग (1) (2) (3) (4)	(5) कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी.	(6) अपर तिलबारा नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु.
सिवनी	तहसील-धनौरा रा.नि.मं.-धनौरा	ग्राम-बाहनवाड़ा ब. नं.- प. ह. नं.-39	0.12 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां।		
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी घंसौर के कार्यालय में किया जा सकता है।				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कार्यालय, कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।				

क्र. 5336-जि.भू.आ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

उक्त संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग (1) (2) (3) (4)	(5) कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी.	(6) अपर तिलबारा नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु।
सिवनी	तहसील-धनौरा रा.नि.मं.-धनौरा	ग्राम-आमानाला ब. नं.- प. ह. नं.-32	1.60 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां।		
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी घंसौर के कार्यालय में किया जा सकता है।				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कार्यालय, कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चंद्र डाढ़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 अगस्त 2017

पत्र क्र. 495-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मौहरिया 485,486	1.901 हे. (0.719 हे. अवतयजन से)	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भ/स), संभाग क्र. 1, रीवा (म. प्र.).	रजहा अकौरी मौहरिया मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 4.00 कि. मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 496-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	अंकौरी	1.639	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भ/स), संभाग क्र. 1, रीवा.	रजहा अकौरी मौहरिया मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 4.00 कि. मी. का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग (उद्घोषणा का संशोधन)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

[क्रमांक 30, सन् 2013 की धारा 19(1) के अन्तर्गत]

खरगोन, दिनांक 17 अगस्त 2017

क्र. 414-भू-अर्जन-2017.—प्र. क्र. 01-अ-82-2016-17.—ग्राम-बैडिया, तहसील सनावद, जिला खरगोन की भू-अर्जन अधिनियम, की धारा 19(1) के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 21 अप्रैल 2017 के पृष्ठ क्रमांक 2151-2152 पर व समाचार-पत्र पत्रिका दिनांक 10 अप्रैल 2017 के पृष्ठ क्रमांक 4 पर एवं समाचार-पत्र ध्रुव वाणी दिनांक 10 अप्रैल 2017 के पृष्ठ क्रमांक 5 पर त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है। अतः प्रकाशित घोषणा में अनुसूची (1) के पद 1 में वर्णित भूमि में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :—

त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ		संशोधित सही प्रविष्टियाँ	
खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)
638/4	0.072	638/3	0.072

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्र. 455-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

- | | |
|--|--|
| अनुसूची | |
| (1) भूमि का वर्णन— | |
| (क) जिला—सीधी | |
| (ख) तहसील—गोपद बनास | |
| (ग) ग्राम—कोतरकला | |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी रकबा 3.749 हेक्टेयर. | |

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
2/1/1	0.011	रामकृपाल पिता भवानीदास गुप्ता
2/मि.4	0.092	पहलूदास पिता मनबहार साकेत
2/ मि.47	0.092	बृजभान कोल पिता गणेश कोल
2/मि.50	0.011	सुनीता पति जयलाल कोल
2/मि.27	0.021	बाबूलाल पिता रामदास कोल
7/3क	0.020	मुस. पार्वती बेवा हीरामणि गुप्ता,
7/3 ख	0.015	जय प्रकाश, प्रवीण कुमार, प्रदीप
7/1/2	0.022	कुमार पिता हीरामणि गुप्ता.
7/1/3	0.047	प्रेमलाल पिता नमोनारायण गुप्ता
7/1/4	0.047	अजय सिंह पिता विश्वनाथ सिंह
7/1/6	0.011	चौहान सा. देवघटा
7/1/5/3	0.006	प्रमोद सिंह पिता चन्द्रबली सिंह
		चौहान.
		श्रीमती श्यामकुमारी सिंह पत्नी
		प्रभुनाथ सिंह चौहान.
		हीरालाल पिता रामावतार
		जायसवाल.
		श्री रेनू केवट पति अशोक कुमार
		केवट.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
7/1/5/8	0.014	श्री संगीता सिंह पल्ली संजय सिंह चौहान.	8/1/मि.-4	0.005	राजमणि पिता वेनीमाधव वानी श्रीमती सत्यभामा सोनी पल्ली संजय कुमार सोनी.
7/1/5/12	0.013	श्री संगीता सिंह पल्ली संजय सिंह चौहान.	8/1/मि.-6	0.003	सुखलाल नाई पिता रामधनी नाई राजबहार पटेल पिता रामभिलाष पटेल.
7/1/5/9	0.014	श्रीमती यशोदा सिंह पल्ली धर्मेन्द्र सिंह बघेल.	8/1/मि.-7	0.006	रामाश्रय पिता शिवलाल बढ़ई निवासी हटवा तह. सिहावल, अशोक कुमार, पिता बृजभान बढ़ई, निवासी पहाड़ी, तह. सिहावल. तखतराज सिंह पिता नोखेलाल सिंह चौहान, निवासी देवघटा.
6/1/2/1	0.072	सुरेश कुमार गुप्ता पिता वंशगोपाल गुप्ता.	8/1/मि.-8	0.005	श्रीमती यशोदा बाबूलाल विश्वकर्मा निवासी गाडा लोलर सिंह.
6/2	0.020	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, नारेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता वंशपती प्रसाद गुप्ता.	8/1/मि.-9	0.010	मंगलेश्वर प्रसाद पिता राममणि गुप्ता.
6/1/2/2	0.016	राकेश शुक्ला पिता अरुण कुमार शुक्ला.	8/1/मि.-11	0.019	श्रीमती बबनी देवी पति लखपति प्रसाद साकेत.
6/1/3	0.038	विजय कुमार पिता छठिलाल जायसवाल.	8/9	0.007	आर. के. वर्मा पिता आर. एस. वर्मा.
6/1/4	0.038	दुर्गा प्रसाद पिता शंभू प्रसाद जायसवाल.	8/1/मि-3/1	0.008	संतोष कुमार, अरुण कुमार, अशोक कुमार, पिता रामसिंहा 1/2 हि. रामसुमिरन, पिता चूडामणि 1/2 हि. जाति पटेल.
6/1/6	0.012	अनिल कुमार केवट पिता रामलल्लू केवट.	8/10	0.008	श्रीमती चन्द्रकली पल्ली गयादीन विश्वकर्मा.
6/1/5	0.012	शंखराज वर्मा, पिता रामऔतार वर्मा	8/मि.-2	0.013	सावन सिंह तनय अंजोलाल सिंह गोड.
6/1/7	0.012	श्रीमती अनन्पूर्णा पाण्डेय पति राजेश पाण्डेय.	8/मि.-3	0.006	बहेरी प्रसाद, पिता सम्पति भुजवा. राजकुमार पाण्डेय, रमेश कुमार पाण्डेय पिता बबू राम, पिता रामकिशोर राम.
8/1/5	0.020	भोला प्रसाद हि. 0.054 दिनेश प्रसाद हि. 0.054 रघुवंश प्रसाद हि. 0.054, गुद्ध प्रसाद हि. 0.054, रघुराज प्रसाद हि. 0.033, पिता स्व. शेषमणि गुप्ता.	8/मि.-5	0.005	श्रीमती रामवती उर्फ रामरती पल्ली सुकाली पटेल.
8/1 क	0.087	मु. बैजनथुआ बेवा अयोध्या प्रसाद गुप्ता 0.050, बुद्धिनारायण गुप्ता 0.065, जीतेन्द्र कुमार गुप्ता 0.065 पिता अयोध्या प्रसाद गुप्ता.	8/मि.-6	0.009	बैजनाथुआ बेवा अयोध्या प्रसाद गुप्ता, बुद्धिनारायण, जीतेन्द्र कुमार पिता अयोध्या प्रसाद गुप्ता.
8/1/मि.-2	0.090	कमलेश्वर, राजबहादुर पिता रामप्रसाद गुप्ता.	8/मि.-7	0.011	बाबादीन पिता छोटवा भुजवा.
8/1/मि-3-3	0.07	देवीदीन मिश्रा पिता इन्द्रजीत राम मिश्रा.	8/मि.-8	0.012	राजकुमार रावत, मनीष कुमार पिता हीरामणि रावत.
8/1/मि.-3/4	0.007	रमेश कुमार रावत, मनीष कुमार पिता हीरामणि रावत.	15/1	0.029	बैजनाथुआ बेवा अयोध्या प्रसाद गुप्ता, बुद्धिनारायण, जीतेन्द्र कुमार पिता अयोध्या प्रसाद गुप्ता.
8/1/मि.-3/5	0.022	श्रीमती अर्चना गुप्ता पल्ली दिनेश कुमार गुप्ता.	15/1/2	0.008	बाबादीन पिता छोटवा भुजवा.
8/1/मि.-3/6	0.005	श्रीमती रामकली सोधियां पल्ली मनमोहन सोधिया.	15/3/मि.-1	0.012	मंगलेश्वर प्रसाद, सूर्यनारायण, राकेश प्रसाद पिता राजमणि गुप्ता
8/1/मि.-3	0.014	विपिन कुमार गुप्ता पिता मंगलेश्वर प्रसाद गुप्ता.	15/मि.-2	0.018	श्रीमती कविता सिंह पल्ली रामबहादुर सिंह.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
15/मि.-3	0.020	श्रीमती ऊषा वर्मा पत्नी बालेन्द्र कुमार वर्मा.	17/4/6	0.003	संतलाल पिता जगदीश सोनी
15/4	0.045	राजमणि पिता बेनीमाधव गुप्ता	17/4/8	0.007	लक्ष्मीचन्द्र पिता दुर्गा प्रसाद गुप्ता
15/2	0.014	कमलेश्वर राजबहादुर पिता रामप्रसाद गुप्ता.	17/4/10	0.004	शंखराज पिता रामस्वरूप गुप्ता
15/3/2	0.004	विद्यानन्द गुप्ता पिता बड़कू गुप्ता	17/4/12	0.009	भरतलाल पिता बृजनन्दन प्रसाद गुप्ता.
14/2/क	0.024	प्रेमलाल पिता नमोनारायण गुप्ता	17/4/13	0.003	जनार्दन गुप्ता पिता रामस्वरूप गुप्ता
14/2/ख	0.056	मुस. पार्वती बेवा हीरामणि गुप्ता, जयप्रकाश, प्रवीण प्रदीप पिता हीरामणि गुप्ता.	17/4/14	0.001	मो. सरीफ पिता बली मोहम्मद बाबूलाल पिता राजेन्द्र प्रसाद सोनी
			17/4/1	0.016	मु. पार्वती बेवा हीरामणि गुप्ता, जयप्रकाश, प्रवीण कुमार, प्रदीप कुमार पिता हीरामणि गुप्ता.
14/2/ग	0.025	रामस्वरूप गुप्ता पिता नमोनारायण गुप्ता.	17/4/7	0.005	रमाकांत पिता रामजियावन सोनी
14/1/1	0.012	राजेन्द्र प्रसाद, सुरेन्द्र प्रसाद, नागेन्द्र प्रसाद पिता वंशपती प्रसाद गुप्ता.	17/4/9	0.007	रामकुमार पिता बलदेव प्रसाद पटेल नारायण प्रसाद पिता ईश्वरजीत गुप्ता.
14/1/3	0.093	रामलखन पिता नमोनारायण गुप्ता	42/1	0.050	राजीवलोचन, छावा उर्फ नवलकिशोर, मंगलेश्वर भोला पिता सुखनन्दन मुस. रनिया बेवा सुखनन्दन हि. 8/9 राजीवलोचन छावा उर्फ नवलकिशोर मंगलेश्वर भोला पिता सुखनन्दन हि. 1/9.
9/2 क	0.057	प्रेमलाल पिता नमोनारायण गुप्ता			मुस. सावित्री बेवा बैजनाथ गुप्ता, राजेश, रमेश, दिनेश पिता. स्व. बैजनाथ गुप्ता.
9/2 ख	0.016	मु. पार्वती बेवा हीरामणि, जयप्रकाश, प्रवीण कुमार, प्रदीप कुमार पिता स्व. हीरामणि गुप्ता.			नवल किशोर पिता सुखनन्दन वानी माधव 0.004 बाबूलाल पिता नर्वदा महुरी पत्नी नर्वदा 0.014 मु. कैलसुआ बेवा हरीदास बड़कू जयपति पिता हरीदास मु. ऊषा बेवा राजबहोरन, पंकज, अंकित, पूजा नावा. पिता राजबहोरन 0.020 विन्ध्यवासिनी पिता जमुना, मुस. डोलमणि बेवा रामकृपाल, अग्रनाथ, देवी प्रसाद, संतोष, सुनील पिता रामकृपाल 0.010 रामगोपाल पिता जमुना 0.001 वंशगोपाल पिता जमुना वानी.
9/1/क/मि.-1	0.361	राजेन्द्र प्रसाद, सुरेन्द्र प्रसाद, नागेन्द्र प्रसाद पिता स्व. वंशपती प्रसाद गुप्ता.	84/मि.-1	0.010	संतोष सिंह पिता बुद्धदेव सिंह गहरवार.
9/1/4	0.009	शैलेन्द्र प्रसाद पिता राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता.	84/मि.-2	0.020	जवाहरलाल गुप्ता पिता केदारनाथ गुप्ता 2/3 हि. लक्ष्मीनारायण पिता केदारनाथ गुप्ता 1/3 हि.
9/1/5	0.009	रुपेन्द्र प्रसाद पिता राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता.	85/1	0.022	राजीवलोचन, छावा उर्फ नवलकिशोर, मंगलेश्वर भोला पिता सुखनन्दन मुस. रनिया बेवा सुखनन्दन हि. 8/9 राजीवलोचन छावा उर्फ नवलकिशोर मंगलेश्वर भोला पिता सुखनन्दन हि. 1/9.
9/1/6	0.009	जोगेन्द्र प्रसाद पिता राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता.			
9/1/7	0.012	शिवेन्द्र प्रसाद पिता सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता.			
16/1	0.007	राजमणि पिता बेनीमाधव गुप्ता			
16/3/1	0.001	सुभउआ बेवा कौशल प्रसाद			
16/3/2	0.002	दिवाकर प्रसाद पिता कौशल प्रसाद गुप्ता.			
16/3/3	0.002	गुलाब प्रसाद पिता कौशल प्रसाद गुप्ता.	85/2	0.004	
16/3/4	0.002	शंकर प्रसाद पिता कौशल प्रसाद गुप्ता.	87	0.070	
16/2	0.007	भोला प्रसाद, दिनेश प्रसाद, रघुवंश प्रसाद, गुड्डू प्रसाद, रघुराज प्रसाद पिता शेषमणि गुप्ता.	88	0.034	
17/4/2	0.006	प्रमोद कुमार पिता रामजियावन सोनी.			

			(1)	(2)	(3)
89/मि.-2	0.020	नवल किशोर पिता सुखनन्दन बानी माधव 0.004 बाबूलाल 0.008	75/मि.-1	0.090	राजीवलोचन छावा उर्फ नवलकिशोर, मंगलेश्वर भोला पिता सुखनन्दन मुस. रनिया बेवा सुखनन्दन.
90/1	0.010	पिता नर्वदा महुरी पत्नी नर्वदा 0.008 विन्ध्यवासिनी 0.006 रामगोपाल 0.002 पिता जमुना बानी वंशगोपाल पिता जमुना बानी हि. 0.002 मुस. डोलमणि बेवा रामकृष्णपाल, अग्रनाथ देवी प्रसाद, संतोष, सुनील पिता रामकृष्णपाल 0.006 मु. कैलसुआ बेवा हरीदास बड़कू जयपति पिता हरीदास मु. ऊषा बेवा राजबहोरन, पंकज, अंकित, पूजा नावा. पिता राजबहोरन 0.025 हे.	75/मि.-2	0.120	छोटवा देवी, गोपीदेवी गोमती देवी, पिता अनन्दे हि. 3/4 विष्णु प्रसाद पिता शेषमणि हि. 1/4.
80/मि.-1	0.013	मुस. सावित्री बेवा बैजनाथ, राजेश, रमेश, दिनेश पिता स्व. बैजनाथ गुप्ता.	78/मि.-1	0.021	मु. सावित्री बेवा बैजनाथ, राजेश, रमेश, दिनेश पिता बैजनाथ गुप्ता मंगलेश्वर प्रसाद पिता सुखनन्दन गुप्ता.
80/मि.-2/1	0.010	मंगलेश्वर प्रसाद पिता सुखनन्दन प्रसाद गुप्ता.	78/मि.-2/2	0.020	भोला प्रसाद सुखनन्दन गुप्ता
80/मि.-2/2	0.017	भोला प्रसाद पिता सुखनन्दन प्रसाद गुप्ता.	91/मि.-8	0.056	रामनिवास पिता अवध प्रसाद गुप्ता
62	0.150	अशोक कुमार, अनूप कुमार, आनन्द, भारत, पुष्पराज, पिता ददई प्रसाद मु. चन्दा देवी बेवा आशुतोष 1/2 कमलेश्वर, भास्कर, प्रभात, नागेन्द्र, नारेन्द्र पिता रामसुन्दर 1/2 जाति बहेरिया.	91/मि.-10	0.030	घनश्याम पिता अवध प्रसाद गुप्ता
70/मि.1	0.010	मु. जानकी देवी बेवा माधव प्रसाद, बाबूलाल पिता नर्वदा प्रसाद मु. महुरी बेवा नर्वदा 1/3 मु. कैलसुआ बेवा हरीदास बड़कू जयपति पिता हरीदास मु. ऊषा बेवा राजबहोरन, पंकज, अंकित, पूजा, नावा. पिता राजबहोरन 1/3 रामगोपाल 0.004 वंशगोपाल 0.004 पिता जमुना बानी राजेश्वर पिता लालबिहारी सिंह, विन्ध्यवासिनी पिता जमुना, मूस. डोलमणि बेवा रामकृष्णपाल, अग्रनाथ, देवी प्रसाद, संतोष, सुनील पिता रामकृष्णपाल 0.074. राजीवलोचन, नवलकिशोर पिता सुखनन्दन 51/100 मंगलेश्वर भोला पिता सुखनन्दन 49/100.	91/मि.-13	0.020	रामकुमार पिता अवध प्रसाद गुप्ता
			91/मि.-14	0.016	रामेश्वर प्रसाद पिता अवध प्रसाद गुप्ता.
			91/मि.-3	0.550	रामानुज पिता महेश प्रसाद गुप्ता,
			91/मि.16	0.055	साहबलाल पिता काशी प्रसाद गुप्ता
			91/मि.-19	0.022	आस्था गुप्ता पिता विश्वविद्यालय गुप्ता.
			91/मि.-7	0.068	श्रीमती रामरती पत्नी अवध प्रसाद गुप्ता.
			91/मि.-2	0.110	नारायण प्रसाद पिता ईश्वरजीत गुप्ता.
			कुल योग . .	3.749	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई रेल लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन कार्यालय कलेक्टर, सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी, गोपदबनास, जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 457-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित

किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गोपद बनास
- (ग) ग्राम—कोटहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.886 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	टिप्पणी भूमिस्वामी का नाम
(1)	(2)	(3)
31/88	0.006	लल्ला सिंह, गोपाल सिंह, पिता पदुमनाथ सिंह.
32	0.005	जगदीश रघुनन्दन पिता हिन्छपति तेली.
33	0.042	जगदीश रघुनन्दन पिता हिन्छपति तेली.
43	0.007	जगदीश रघुनन्दन पिता हिन्छपति तेली.
50	0.010	जगदीश रघुनन्दन पिता हिन्छपति तेली.
42	0.030	जगदीश रघुनन्दन पिता हिन्छपति तेली.
35/1	0.213	जगदीश रघुनन्दन पिता हिन्छपति तेली.
41/1	0.453	जगदीश रघुनन्दन पिता हिन्छपति तेली.
40/1	0.120	जगदीश रघुनन्दन पिता हिन्छपति तेली.
कुल योग . .		0.886

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रीवा—सीधी नई रेल लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू—अर्जन कार्यालय कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास, जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सीधी, दिनांक 25 अगस्त 2017

क्र. 459—भू—अर्जन—2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के

लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) ग्राम—बड़खरा 739
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी रकबा 2.855 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	भूमि स्वामी का नाम
(1)	(2)	(3)
70/1/1	0.005	संतोष कुमार पिता सूर्यप्रताप राम ब्रा.
70/1/2	0.004	पवनं कुमार पिता सूर्यप्रताप राम ब्रा.
70/2	0.010	शिवम कुमार पिता हरीश कुमार छिवेदी
73/1	0.010	जयप्रकाश पिता राममणि शर्मा
73/2/1/1	0.011	जयप्रकाश पिता राममणि मिश्रा
73/2/1/2	0.004	अभिलाषा पति दिलीप पाण्डेय
73/2/1/2	0.010	धीरेन्द्र कुमार पिता रामभुवन पाण्डेय
73/2/1/3	0.010	विनोद कुमार पिता हरिहर प्रसाद पाठक
73/2/2	0.010	मुनि प्रसाद पिता हनुमान प्रसाद उपाध्याय.
73/3/1/1	0.010	राकेश कुमार पिता राममणि मिश्रा
73/3/1/2	0.010	आशीष कुमार पिता पुष्टेन्द्र छिवेदी
73/3/2	0.010	राजीव पिता काशी प्रसाद तिवारी
74/1/1	0.004	संतोष कुमार पिता सूर्यप्रताप राम ब्रा.
74/1/2	0.005	पवन कुमार पिता सूर्यप्रताप राम ब्रा.
74/2	0.010	अमित कुमार पिता बृजमोहन प्रसाद मिश्रा.
75/1/1/1	0.045	संतोष कुमार पिता सूर्यप्रताप राम ब्रा.
75/1/1/2	0.010	आशीष कुमार पिता सौखीलाल तिवारी
75/1/1/3	0.010	आशीष कुमार पिता सुरेश सेन
75/1/1/4	0.010	पुष्टेन्द्र कुमार पिता विजयनाथ दुबे
75/1/2	0.050	पवन कुमार पिता सूर्यप्रताप राम ब्रा.
75/2	0.010	राजेन्द्र प्रसाद पिता केशरी प्रसाद मिश्रा
75/3	0.040	राजेन्द्र कुमार पिता सूर्यप्रताप राम मिश्रा.
75/4	0.040	सारिका पिता सूर्यप्रताप राम मिश्रा
75/5	0.010	रोहित कुमार पिता कमलेश्वर प्रसाद पाण्डेय.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
75/6	0.010	सुशील कुमार पिता राममिलन तिवारी	108/4/1/2	0.010	संजय सिंह पिता दीपनारायण सिंह
75/7	0.010	अभिमन्यु कुमार पिता कमलेश्वर प्रसाद पाण्डेय.	108/4/2	0.020	प्रवीण कुमार सिंह पिता शिवकुमार सिंह.
75/8	0.010	चक्रधर पिता संतोष कुमार मिश्रा	109/1	0.010	विनोद कुमार सिंह पिता मोतीलाल सिंह.
75/9	0.010	अमित कुमार पिता हरीश कुमार द्विवेदी	109/2/1	0.020	नवीन पिता बबूलाल सिंह
75/10	0.010	प्रदीप कुमार पिता रामदास द्विवेदी	109/2/2	0.020	सचीन पिता बबूलाल सिंह
75/11	0.010	रजनीश कुमार पिता नाथू प्रसाद तिवारी	109/3	0.015	पवन कुमार सिंह पिता मोतीलाल सिंह.
75/12	0.010	प्रदीप कुमार पिता सुरेश प्रसाद पाण्डेय	109/4/1	0.010	सतीष कुमार सिंह पिता शिवकुमार सिंह.
76/1	0.010	राजेन्द्र प्रसाद पिता त्रिवेणी प्रसाद तिवारी.	109/4/2	0.010	प्रवीण कुमार सिंह पिता शिवकुमार सिंह.
76/2	0.003	प्रेमलाल पिता लालमणि साकेत	110/1	0.020	विनोद कुमार सिंह पिता मोतीलाल सिंह.
77/1	0.006	राजेन्द्र प्रसाद पिता त्रिवेणी प्रसाद तिवारी.	110/2/1	0.010	नवीन पिता बबूलाल सिंह
77/2	0.006	प्रेमलाल पिता लालमणि साकेत	110/2/2	0.010	सचीन पिता बबूलाल सिंह
105/2/1/1/1	0.010	राजेश कुमार पिता राममणि मिश्रा	110/2/3	0.010	पवन कुमार सिंह पिता मोतीलाल सिंह.
105/2/1/1/2	0.005	संजीव कुमार पिता यश्ननारायण तिवारी	110/3	0.010	सतीष कुमार सिंह पिता शिवकुमार सिंह.
105/2/1/1/3	0.005	राजीव कुमार पिता यश्ननारायण तिवारी	110/4/1/1	0.010	रंजीत सिंह पिता इन्द्रजीत सिंह
105/2/1/1/4	0.005	राजेश कुमार पिता राममणि मिश्रा	110/4/1/2	0.010	सतीष कुमार सिंह पिता शिवकुमार सिंह.
105/2/1/1/2	0.005	रंजीत सिंह पिता इन्द्रजीत सिंह	110/4/1/3	0.010	मनोज पिता कलेस्टर तिवारी
105/2/1/2	0.010	रामसुभग पिता रामसकोचे द्विवेदी	110/4/1/4	0.010	भौमदत्तमणि पिता सुधीर मणि त्रिपाठी
105/2/1/3	0.010	शैलेन्द्र प्रसाद पिता रामसुभग द्विवेदी	110/4/2/1	0.010	रविदत्तमणि पिता सुधीरमणि त्रिपाठी
105/2/2	0.010	पुष्पा मिश्रा पति राजेश कुमार मिश्रा	110/4/2/2	0.010	प्रवीण कुमार सिंह पिता शिवकुमार सिंह
105/3/1/1	0.006	पुष्पेन्द्र कुमार पिता राममणि मिश्रा	110/4/2/3	0.010	निषेन्द्र सिंह पिता रमाणोविन्द सिंह बघेल.
105/3/1/2	0.005	राजेश पिता बृजेन्द्र पाण्डेय	110/4/2/4	0.010	भानुप्रताप सिंह पिता कैलाश सिंह गहरवार.
105/3/2/1	0.010	पुष्पेन्द्र कुमार पिता राममणि मिश्रा	122	0.015	अभिनव सिंह पिता अवधेश सिंह बघेल.
105/3/2/2	0.010	पुष्पेन्द्र कुमार पिता राममणि मिश्रा	123	0.030	सत्यवती पल्ली बद्री सिंह, राजीव, संजीव तनय बद्री सिंह.
105/3/2/3	0.010	नीलांबर प्रसाद पिता अम्बिका प्रसाद द्विवेदी.	124/1/1	0.018	विनोद कुमार सिंह पिता मोतीलाल सिंह.
105/3/2/4	0.010	प्रफुल्ल कुमार पिता नीलांबर प्रसाद द्विवेदी.	124/1/2	0.004	अशोक कुमार तनय राजेन्द्र प्रसाद
106/1/1	0.003	संतोष कुमार पिता सूर्यप्रताप राम ब्रा.	124/2	0.010	विनय कुमार पिता सुरेश प्रसाद तिवारी
106/1/2	0.003	पुवन कुमार पिता सूर्यप्रताप राम ब्रा.	124/3	0.010	धीरज पिता बीरेन्द्र प्रसाद मिश्रा
106/2	0.010	प्रवीण कुमार पिता राददास द्विवेदी	124/4	0.010	शुभम पिता संतोष प्रसाद मिश्रा
107	0.019	जयप्रकाश पिता राममणि शर्मा	124/5	0.010	सुरेश प्रसाद पिता तेजाराम तिवारी
108/1	0.018	विनोद कुमार सिंह पिता मोतीलाल सिंह.	282	0.097	विनोद कुमार पिता सुरेश प्रसाद तिवारी दिनकर प्रसाद तनय गंगा राम ब्रा.
108/2/1	0.032	नवीन पिता बबूलाल सिंह			
108/2/2	0.032	सचीन पिता बबूलाल सिंह			
108/3	0.010	पवन कुमार सिंह पिता मोतीलाल सिंह.			
108/4/1/1	0.020	सतीष कुमार सिंह पिता शिवकुमार सिंह.			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
283	0.030	चन्द्रमणि प्रसाद, इन्द्रमणि, सूर्यमणि राम, राजभान राम, तनय रामखेलावन राम.	325/1/6	0.004	मनबोध पिता रमेश प्रसाद शुक्ला
			325/1/7	0.004	नारेन्द्र व्यास पिता शिवसहाय व्यास
			325/1/8	0.004	भोला प्रसाद पिता घनश्याम प्रसाद द्विवेदी.
284	0.018	राममणि तनय रामप्रताप राम	325/1/9	0.004	अनुपा उर्फ अनूपा पति संजय पाण्डेय
285	0.020	चन्द्रमणि प्रसाद, इन्द्रमणि, सूर्यमणि राम, राजभान राम, तनय रामखेलावन राम.	325/1/10	0.004	वेदप्रकाश पिता रामलष्ण शुक्ला
			325/2	0.004	दयाशंकर पिता रामभजन ब्रा.
286	0.008	राममणि तनय रामप्रताप राम	325/3	0.003	कृपाशंकर पिता रामभजन ब्रा.
290	0.002	रामनिवास पिता जमुना राम	326/1	0.025	मु. लीलावती बेबा रामप्रसाद ब्रा.
294/1	0.090	राधिकेश कुमार पिता दिनकर प्रसाद तिवारी.	326/2	0.025	अशोक कुमार पिता रामप्रसाद ब्रा.
294/2	0.087	कमलेश कुमार पिता दिनकर प्रसाद तिवारी.	326/3	0.026	राधा पुत्री रामप्रसाद ब्रा.
296/1	0.002	कमलेश कुमार पिता दिनकर प्रसाद तिवारी.	326/4	0.026	मु. ज्ञानवती बेबा अरुण कुमार
296/2	0.004	मयंकेश कुमार पिता रमेश प्रसाद द्विवेदी	326/5	0.020	सरिता पुत्री अरुण कुमार
296/3	0.002	उपेन्द्र पिता रामाश्रय द्विवेदी	327/1	0.013	सीमा पुत्री अरुण कुमार
296/4	0.002	पुष्पा द्विवेदी पति रमेश कुमार द्विवेदी	327/2	0.013	मु. लीलावती बेबा रामप्रसाद ब्रा.
296/5	0.002	श्रीमती राधा दुबे पति महेन्द्र कुमार दुबे.	327/3	0.012	अशोक कुमार पिता रामप्रसाद ब्रा.
297	0.117	राजमणि, राजीवलोचन, राजेश, देववती, शिववती, बुटान, पिता उदयभान, पन्नालाल पिता शत्रुघ्न राम, रोशनलाल पिता अंजनी प्रसाद, मु. द्रौपती बेबा रामगोपाल, अजीत, आशीष, अमरीश पिता रामगोपाल तिवारी.	331	0.001	दयाशंकर पिता रामभजन ब्रा.
298	0.001	-"-	463/1	0.010	राधिकेश कुमार पिता दिनकर प्रसाद तिवारी.
313	0.001	-"-	463/2	0.009	कमलेश कुमार पिता दिनकर प्रसाद तिवारी.
314	0.006	-"-	464/1	0.080	राधिकेश कुमार पिता दिनकर प्रसाद तिवारी.
315	0.310	-"-	464/2	0.044	कमलेश कुमार पिता दिनकर प्रसाद तिवारी.
323/1	0.005	रमाशंकर पिता रामभजन ब्रा	496	0.020	रामसुशील पिता रामगोपाल सोनी
323/2	0.005	दयाशंकर पिता रामभजन ब्रा.	497	0.114	मुद्रिका प्रसाद तनय चतुर्भुज प्रसाद
323/3	0.006	कृपाशंकर पिता रामभजन ब्रा.	499	0.012	मुद्रिका प्रसाद तनय चतुर्भुज प्रसाद
324/1	0.020	रमाशंकर पिता रामभजन ब्रा.	505	0.001	रामकृपाल तनय भास्कर सोनी
324/2	0.015	दयाशंकर पिता रामभजन ब्रा.	506	0.042	त्रिवेणी प्रसाद पिता छोटेलाल राम
324/3	0.005	कृपाशंकर पिता रामभजन ब्रा.	507/1	0.055	रामकृपाल तनय भास्कर सोनी
325/1/1	0.004	रमाशंकर पिता रामभजन ब्रा.	507/2	0.043	योगेन्द्र प्रसाद पिता रामसलोने सोनी
325/1/2	0.004	नारेन्द्र पिता रामायण दुबे	508	0.064	रामकृपाल तनय भास्कर सोनी
325/1/3	0.004	नारेन्द्र पिता रामायण दुबे	509	0.031	धनेश प्रसाद पिता राममित्र राम
325/1/4	0.004	ऋषिराज पिता घनश्याम प्रसाद द्विवेदी	510	0.039	जयकुमार पिता चिंतामणि
325/1/5	0.004	कमलाकांत पिता सुरेश प्रसाद शुक्ला	511	0.001	जयकुमार पिता चिंतामणि
			512/1	0.005	जयकुमार पिता चिंतामणि
			512/2	0.045	धनेश प्रसाद पिता राममित्र राम
			513	0.080	धनेश प्रसाद पिता राममित्र राम
			514	0.023	मनोज कुमार पिता रामसलोने सोनी

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
515	0.001	नवीन कुमार पिता रामसलोने सोनी	59/1/1/5	0.010	रामकरण पिता रामखेलावन छिवेदी
			59/1/1/6	0.010	शेषमणि पिता रामानुज मिश्रा
			59/1/1/7	0.010	अन्नपूर्णा पिता सत्यभान अग्निहोत्री
			59/1/1/8	0.010	अबनीश पिता हरीश अग्निहोत्री
			59/1/1/9	0.010	संतोष कुमार पिता रामलखन अग्निहोत्री.
			59/1/1/10	0.010	विनोद कुमार पिता रघुनंदन प्रसाद मिश्रा.
			59/1/1/11	0.010	प्रभात पिता रामसजीवन छिवेदी
			59/1/1/12	0.004	मोहित पिता रामसुशील मिश्रा
			59/1/1/13	0.002	विनीत कुमार पिता गोकरण प्रसाद मिश्रा.
			59/1/1/14	0.004	हरीश कुमार पिता कामता प्रसाद तिवारी.
			59/1/1/15	0.006	अजीत कुमार पिता रामसखा मिश्रा
			59/1/1/16	0.004	रामरूद्र पिता गोकरण प्रसाद मिश्रा
			61/1	0.005	रविन्द्रेशमणि पिता प्रभाकर मिश्रा
			54	0.012	रामकिशोर पिता बिन्दा काढी
			62	0.078	रामकिशोर पिता बिन्दा काढी
			63/1	0.105	रामकिशोर पिता बिन्दा काढी
			34/1	0.002	सोमवती पति छोटे, भैयालाल, ददन, रामकुमार पिता छोटे, भूरा, सोई पिता हजारी कोल.
			27	0.079	रामावतार पिता मोतीलाल ब्रा.
			28	0.007	रामावतार पिता मोतीलाल ब्रा.
			29	0.047	रामावतार पिता मोतीलाल ब्रा.
			31	0.164	रामावतार पिता मोतीलाल ब्रा.
			37/1	0.051	रामावतार पिता मोतीलाल ब्रा.
			36/1	0.022	रामावतार पिता मोतीलाल ब्रा.
			61/1/1	0.069	रामचरित्र पिता रामटहल काढी
			61/1/2	0.020	तीरथ पिता रामटहल काढी
			30	0.010	रामकरन, रामाधार, रामदुलारे, रामहित्त पिता रामदास, मु. बेबा लाला ब्रा.
			32	0.010	भुरबा पिता पियारे, छोटिया पिता दुलारे कोल.
			33/1	0.007	जेठुआ पिता जगवा कोल
			37/2	0.050	संतोष कुमार पिता मोतीलाल ब्रा.
					कुल योग . . 2.220
					(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई रेल लाइन हेतु.
					(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी चुरहट, जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सीधी, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. 462-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़नी की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—मझियार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—निची रकबा 2.220 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि स्वामी का नाम	(1)	(2)	(3)
59/1/1	0.200	उर्मिला देवी पत्नी प्रभाकर प्रसाद ब्रा			
59/1/2	0.325	उर्मिला देवी पत्नी प्रभाकर प्रसाद ब्रा			
58/1	0.320	दिवाकर प्रसाद पिता मंगलदीन ब्रा.			
53	0.029	दिवाकर प्रसाद पिता मंगलदीन ब्रा.			
57	0.127	दिवाकर प्रसाद पिता मंगलदीन ब्रा.			
92	0.160	भैयालाल, विशेषर पिता रामदास, प्रेमदास पिता रामनाथ ब्रा.			
93	0.201	भैयालाल, विशेषर पिता रामदास, प्रेमदास पिता रामनाथ ब्रा.			
59/1/1/2	0.010	घनश्याम पिता श्यामसुंदर ब्रा			
59/1/1/3	0.010	अवधेश प्रसाद पिता शेषमणि मिश्रा			
59/1/1/4	0.010	संदीप कुमार पिता सुरेन्द्र छिवेदी			

क्र. 464-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम (3) में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—मझौली

(ग) नगर/ग्राम—खन्तरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी रकबा 22.99 हेक्टेयर।

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	भूमिस्वामी का नाम	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
126	0.850	सोनिया वेवा जय सिंह बगै	120	0.700	सीताराम पिता मोहन जाति कोल	103	1.730	मु. यशोदा वेवा रामसिंह बगै।
125	0.750	सोनिया वेवा जय सिंह बगै	121	0.210	रामफल पिता पियारे	117	0.410	मु. यशोदा वेवा रामसिंह बगै।
124	0.310	सोनिया वेवा जय सिंह बगै	122	0.040	रामफल पिता पियारे	118	0.210	मु. यशोदा वेवा रामसिंह बगै।
104	0.400	सोनिया वेवा जय सिंह बगै	127	0.230	सीताराम ब. न. 170	129	0.090	मु. यशोदा वेवा रामसिंह बगै।
99	0.700	सोनिया वेवा जय सिंह बगै	128	1.120	सीताराम ब. न. 170	119	0.610	शिवकुमार सिंह बगै।
45	0.040	सोनिया वेवा जय सिंह बगै	39	0.610	शिवकुमार सिंह बगै।	100	0.240	शिवकुमार सिंह बगै।
98	1.750	सोनिया वेवा जय सिंह बगै	14	0.370	शिवकुमार सिंह बगै।	101	0.580	शिवकुमार सिंह बगै।
38	0.580	सोनिया वेवा जय सिंह बगै	92	0.470	सहदेव पिता कन्ताली जाति कोल	122	0.040	सोनिया वेवा जय सिंह बगै।
97	0.060	सोनिया वेवा जय सिंह बगै	91	1.850	रामदास पिता देमन जाति कोल	105	0.140	जयलाल पिता रामधारी सिंह ब. नं. 74
131	1.780	सोनिया वेवा जय सिंह बगै	112	0.040	तिजउआ बगै. ब. न. 110	102	0.360	यशोदा बेवा रामसिंह, बुजेश, ललन, हरिपाल, लालबहादुर पिता रामसिंह।
133	1.690	सोनिया वेवा जय सिंह बगै	योग . .	22.99				
41	0.340	लालजी रामजी पिता बाबूलाल जाति बैगा।						
50	0.110	मैका पिता मोलई जाति कोल						
15	0.250	लखपति पिता सुदर्शन						
1376	0.150	मु. कृष्णवती वेवा मथुरा प्रसाद रामलल्लू, लालभाई, छोटेलाल पिता मथुरा प्रसाद।						
1375	0.150	श्यामलाल						
1381/1	0.090	कामता प्रसाद पिता भूरा बैसवार						
89	0.240	पतिया पिता कोटिया जाति अहिर						
86	0.010	वैजनाथ पिता रामधनी						

क्र. 466-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम (3) में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महान बाँध के ढूब क्षेत्र हेतु।

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है।

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

			(1)	(2)	(3)
खसरा नंबर	रक्कड़ा (हे. में)	भूमिस्वामी का नाम			
(1)	(2)	(3)	56	0.080	मु. गुलबसिया पति बालकरण सिंह गोड़ दादू लाल सिंह गोविन्द सिंह पिता बालकरण सिंह 1/6 पुत्री सुखवरिया बड़कइयां बगै.
48	0.032	मुनिराज सिंह पिता रोहिणी सिंह बघेल			मु. गुलबसिया पति बालकरण सिंह गोड़ दादू लाल सिंह गोविन्द सिंह पिता बालकरण सिंह 1/6 पुत्री सुखवरिया बड़कइयां बगै.
49	0.451	रामकृपाल सिंह पिता दल प्रताप सिंह बघेल.			मु. गुलबसिया पति बालकरण सिंह गोड़ दादू लाल सिंह गोविन्द सिंह पिता बालकरण सिंह 1/6 पुत्री सुखवरिया बड़कइयां बगै.
126	0.065	रामकृपाल सिंह पिता दल प्रताप सिंह बघेल.	92	0.190	मु. गुलबसिया पति बालकरण सिंह गोड़ दादू लाल सिंह गोविन्द सिंह पिता बालकरण सिंह 1/6 पुत्री सुखवरिया बड़कइयां बगै.
50	0.070	दीपनारायण, ललित नारायण पिता सनत कुमार सिंह.			मु. गुलबसिया पति बालकरण सिंह गोड़ दादू लाल सिंह गोविन्द सिंह पिता बालकरण सिंह 1/6 पुत्री सुखवरिया बड़कइयां बगै.
68	0.244	नृसिंह प्रताप सिंह	89	0.360	मु. गुलबसिया पति बालकरण सिंह गोड़ दादू लाल सिंह गोविन्द सिंह पिता बालकरण सिंह 1/6 पुत्री सुखवरिया बड़कइयां बगै.
67	0.178	नृसिंह प्रताप सिंह			
60	0.116	मु. कमल सुन्दरी वेवा सूर्यप्रताप सिंह राजपाल सिंह राजकुमार सिंह पुत्री उमा सिंह ममता सिंह पिता सूर्यप्रताप सिंह गहरवार.	94	1.190	दिवाकर पिता विजय बहादुर सिंह बघेल पुत्री सिरवतिया प्रेमवती कलावती पिता दददी अगरिया.
572	0.568	कृपलुआ वेवा योगेन्द्र बहादुर सिंह बाघेल बगै.	302	0.253	सिरवतिया प्रेमवती कलावती पिता दददी अगरिया.
260	0.108	कृपलुआ वेवा योगेन्द्र बहादुर सिंह बाघेल बगै.	298	1.227	धर्मराज सिंह पिता सम्मन सिंह 1/3 अवधराज सिंह पिता जयमंगल सिंह 1/3 मोहन सिंह गलिराज सिंह पिता तिलकराज सिंह.
603	0.030	कृपलुआ वेवा योगेन्द्र बहादुर सिंह बाघेल बगै.			
59	0.140	कृपलुआ वेवा योगेन्द्र बहादुर सिंह बाघेल बगै.	300	0.530	धर्मराज सिंह पिता सम्मन सिंह 1/3 अवधराज सिंह पिता जयमंगल सिंह 1/3 मोहन सिंह गलिराज सिंह पिता तिलकराज सिंह.
76	0.471	देवशरण सिंह रामदीन सिंह गोड़			
84	0.270	मु. गुलबसिया पति बालकरण सिंह गोड़ दादू लाल सिंह गोविन्द सिंह पिता बालकरण सिंह 1/6 पुत्री सुखवरिया बड़कइयां बगै.	297	0.576	धर्मराज सिंह पिता सम्मन सिंह 1/3 अवधराज सिंह पिता जयमंगल सिंह 1/3 मोहन सिंह गलिराज सिंह पिता तिलकराज सिंह.
85	0.126	मु. गुलबसिया पति बालकरण सिंह गोड़ दादू लाल सिंह गोविन्द सिंह पिता बालकरण सिंह 1/6 पुत्री सुखवरिया बड़कइयां बगै.			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
293	0.012	धर्मराज सिंह पिता सम्मन सिंह 1/3 अवधराज सिंह पिता जयमंगल सिंह 1/3 मोहन सिंह गलिराज सिंह पिता तिलकराज सिंह.	120	0.520	सुरेश प्रताप सिंह पिता विजयबहादुर सिंह बघेल.
292	0.026	धर्मराज सिंह पिता सम्मन सिंह 1/3 अवधराज सिंह पिता जयमंगल सिंह 1/3 मोहन सिंह गलिराज सिंह पिता तिलकराज सिंह.	571	0.179	जयवीर सिंह दिग्विजय सिंह बाल मुकुन्द सिंह पिता रामकृष्णाल सिंह बघेल.
290	0.148	धर्मराज सिंह पिता सम्मन सिंह 1/3 अवधराज सिंह पिता जयमंगल सिंह 1/3 मोहन सिंह गलिराज सिंह पिता तिलकराज सिंह.	564	0.079	मु. तिजउआ वेवा देवीदीन सिंह बगै. राबहादुर सिंह पिता रामकरण सिंह लल्ली वेवा जयकरण सिंह
279/1021	0.080	धर्मराज सिंह पिता सम्मन सिंह 1/3 अवधराज सिंह पिता जयमंगल सिंह 1/3 मोहन सिंह गलिराज सिंह पिता तिलकराज सिंह.	559	0.170	लाल देव सिंह लाल बहादुर सिंह लाल देव सिंह लाल बहादुर सिंह रजमन्ती पुत्री बालगोविन्द
655	0.172	धर्मराज सिंह पिता सम्मन सिंह 1/3 अवधराज सिंह पिता जयमंगल सिंह 1/3 मोहन सिंह गलिराज सिंह पिता तिलकराज सिंह.	575	0.046	रजमन्ती पुत्री बालगोविन्द रजमन्ती पुत्री बालगोविन्द रजमन्ती पुत्री बालगोविन्द रजमन्ती पुत्री बालगोविन्द बोध सिंह पिता गणेश सिंह 1/3 केमला पिता बहादुर मु. मनखुआ पति बहादुर 2/3 सुखरजुआ पति टेड़ई व राममिलन रामखेलावन पिता टेड़ई 1/3.
305	0.590	धर्मराज सिंह पिता सम्मन सिंह 1/3 अवधराज सिंह पिता जयमंगल सिंह 1/3 मोहन सिंह गलिराज सिंह पिता तिलकराज सिंह.	557	0.090	रनदवन सिंह बगै
288	0.020	धर्मराज सिंह पिता सम्मन सिंह 1/3 अवधराज सिंह पिता जयमंगल सिंह 1/3 मोहन सिंह गलिराज सिंह पिता तिलकराज सिंह.	561	0.118	रनदवन सिंह बगै
295	0.047	जयराम सिंह पिता दरदई गोड़	553	0.030	रनदवन सिंह बगै
596	0.042	मु. गुलबसिया पति वीरन सिंह खग सिंह पिता जग्यशरण सिंह मु. श्यामकली वेवा महावीर सिंह नाबालिक संरक्षक आजी फुलझरिया पति वीरन सिंह गोड़ व राममिलन सिंह पिता महावीर सिंह नाबालिक संरक्षक माता श्यामकली पति महावीर सिंह गोड़.	597	0.036	जयकरण सिंह जलजीत सिंह जहाँगीर सिंह पिता सरिमन सिंह व पुत्री सुधरी पिता सरिमन सिंह गोड़ बगै.
			598	0.030	जयकरण सिंह जलजीत सिंह जहाँगीर सिंह पिता सरिमन सिंह व पुत्री सुधरी पिता सरिमन सिंह गोड़ बगै.
118	1.730	रमागोविन्द सिंह बगै.	600	0.068	अजमेर सिंह पिता शिवबालक सिंह
117	0.764	रमागोविन्द सिंह बगै.	604	0.028	शिवबदन सिंह पिता सहदेव सिंह.
119	0.010	रमागोविन्द सिंह बगै.	608	0.028	नर्वदा सिंह
116	0.046	सुरेश प्रताप सिंह पिता विजयबहादुर सिंह बघेल.	610	0.082	रामचन्द्र सिंह
			613	0.073	रंगनाथ सिंह सुन्दरलाल सिंह देवराज सिंह पृथ्वीराज सिंह पिता लोलर सिंह राजकुमारी सिंह पति बृजभान सिंह अशोक सिंह प्रमोद सिंह कृष्णप्रताप सिंह पिता बृजभान सिंह बघेल.
					रंगनाथ सिंह सुन्दरलाल सिंह देवराज सिंह पृथ्वीराज सिंह पिता लोलर सिंह राजकुमारी सिंह पति बृजभान सिंह अशोक सिंह प्रमोद सिंह कृष्णप्रताप सिंह पिता बृजभान सिंह बघेल.

(1)	(2)	(3)
609	0.007	रंगनाथ सिंह सुन्दरलाल सिंह देवराज सिंह पृथ्वीराज सिंह पिता लोलर सिंह राजकुमारी सिंह पति बृजभान सिंह अशोक सिंह प्रमोद सिंह कृष्णप्रताप सिंह पिता बृजभान सिंह बघेल.
720	0.210	रामआौतार राम पिता रामदर्शन राम ब्रा
707	0.040	रामआौतार राम पिता रामदर्शन राम ब्रा
745	1.380	रामआौतार राम पिता रामदर्शन राम ब्रा
265/1040	0.860	रामआौतार राम पिता रामदर्शन राम ब्रा
657	0.023	हरिचरण सिंह बगै
656	0.042	हरिचरण सिंह बगै
664	0.028	हरिचरण सिंह बगै
563	0.040	हरिचरण सिंह बगै
611	0.152	वेवा बासमती पति स्वरूप सिंह बृजेश कुमार शैलेन्द्र सिंह पिता स्वरूप सिंह बघेल.
614	0.070	वेवा बासमती पति स्वरूप सिंह बृजेश कुमार शैलेन्द्र सिंह पिता स्वरूप सिंह बघेल.
612/1	0.531	अंजनी कुमार सिंह राघवेन्द्र सिंह पिता अवधराज सिंह बघेल.
739	0.231	राजबहादुर सिंह
741	0.160	जयराज सिंह राजा सिंह
724	0.007	राजपती सिंह ब. न. 432
725	0.216	राजपती सिंह ब. न. 432
697	0.170	मु. वेवा रामकली पति रामपाल सिंह
272	0.260	मु. फुलवसिया पति बीरन सिंह
64	0.400	लाल कुमार सिंह पिता धनुकधारी
262	0.130	मोती सिंह शिवप्रसाद सिंह पिता पियरे सिंह 2/3 लक्षिमन सिंह रामपाल सिंह पिता लाखु सिंह मु.
568	0.040	मोती सिंह शिवप्रसाद सिंह पिता पियरे सिंह 2/3 लक्षिमन सिंह रामपाल सिंह पिता लाखु सिंह मु.
263	0.020	जयराम रामनाथ, रामराज पिता शम्भू
268	0.010	सुखमन्ती वेवा वंशगोपाल
267	0.040	रामबहादुर सिंह तनय रामकरण सिंह
599	0.110	रामटहल सिंह हनुमान सिंह तनय कोलई सिंह
726	0.120	गुर्जन सिंह ब. नं. 283
727	0.060	सुमिरन सिंह ब. नं. 277
योग . .	<u>19.378</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महान बॉथ के डूब क्षेत्र हेतु।
(3) भूमि के नक्शे एवं (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है।

क्र. 468-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पंद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रक्वे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—मझौली
- (ग) नगर/ग्राम—छूही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी रक्बा 0.433 हेक्टेयर।

खसरा नंबर	रक्बा (हे. में)	भूमि स्वामी का नाम
(1)	(2)	(3)
1090/1	0.015	शिवनाथ, रामलाल बीरवल पिता बैशाखु
1090/2	0.011	गंगा प्रसाद पिता रामलाल गुप्ता
24/1	0.010	राजमणि पिता राममनोहर
24/2	0.013	लालमणि पिता राममनोहर
24/3	0.010	राजमणि पिता राममनोहर
1081	0.100	रामचन्द्र मंगल, रामनिवास पिता बाल गोविन्द जाति तेली।
1088	0.019	रामचन्द्र मंगल, रामनिवास पिता बाल गोविन्द जाति तेली।
1113	0.020	फदाली सिंह रामशरण सिंह
1408	0.015	लालमणि पिता छोटकी
1411	0.220	लालमणि पिता छोटकी
योग . .	<u>0.433</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महान बॉथ के डूब क्षेत्र हेतु।
(3) भूमि के नक्शे एवं (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय मझौली में देखा जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 28 अगस्त 2017

प. क्र. 481-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूंकि ग्राम बजरा-50, राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर सोनौरी, तहसील त्योंथर, रीवा जिले के रायपुर मोड से बसहट मार्ग में बेलन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
- (ख) तहसील—त्योंथर
- (ग) नगर/ग्राम—बजरा-50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.237 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
4/1/ख/2	0.024
4/1/ग/1	0.033
4/1/ग/2	0.033
4/1/ग/3	0.034
8/1/ग/4	0.028
65/2/क	0.012
4/1/क/3	0.012
4/1/ध/4	0.005
65/7	0.026
88/1	0.065
90/1/3	0.049
90/3/5	0.242
90/3/3	0.322
92/2/ग	0.040
90/2/क	0.223
91	0.089
कुल रकबा . .	1.237

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है— रीवा जिले के रायपुर मोड से बसहट मार्ग में नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र. 482-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूंकि ग्राम गंथा राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर सोनौरी, तहसील त्योंथर, रीवा जिले के रायपुर मोड से बसहट मार्ग में बेलन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
- (ख) तहसील—त्योंथर
- (ग) नगर/ग्राम—गंथा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.141 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
32/1	0.010
32/2	0.010
38/1	0.121
कुल रकबा . .	0.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है— रीवा जिले के रायपुर मोड से बसहट मार्ग में नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीती मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

पन्ना, दिनांक 31 जुलाई 2017

प्र. क्र. 109-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय—सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैं:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—गुनौर
- (ग) ग्राम—सथनिया, प.ह.नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.67 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1749/1	0.15	निजी भूमि
1748/1/kha	0.03	निजी भूमि
1748/2	0.07	निजी भूमि
1739	0.08	निजी भूमि
1740/1	0.05	निजी भूमि
1740/2	0.05	निजी भूमि
1735	0.04	निजी भूमि
1740/3	0.05	निजी भूमि
1740/4	0.05	निजी भूमि
1734	0.10	निजी भूमि

कुल अर्जित निजी रकबा . . . 0.67

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवर्ड मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

सतना, दिनांक 22 जून 2017

क्र.389—भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—उंचेहरा
- (ग) नगर/ग्राम—कुन्दहरीखुर्द
- (घ) क्षेत्रफल—0.154 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2	0.154
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	0.154

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सतना के अन्तर्गत कुन्दहरीखुर्द से कुन्दहरीकला अकहा मार्ग निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।